भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

आरबीआई/2012-13/45

बैंपविवि.एएमएल. बीसी. सं.1594/14.01.001/2012-13 **2 जुलाई 2012**

11 आषाढ़ 1934 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं/ स्थानीय क्षेत्र बैंक

महोदय

'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एल एम ए), 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व से संबंधित मास्टर परिपत्र

कृपया 1 जुलाई 2011 का हमारा मास्टर परिपत्र संदर्भ सं. बैंपविवि.एएमएल .बीसी.सं.2/14.01.001/ 2011-12 देखें जिसमें 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एल एम ए), 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व के संबंध में 30 जून 2011 तक बैंकों को जारी अनुदेशों/ दिशानिर्देशों को समेकित किया गया था। इस मास्टर परिपत्र में 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एल एम ए), 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व के संबंध में 30 जून 2012 तक जारी अनुदेशों का समेकन किया गया है।

2. इस मास्टर परिपत्र को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर प्रदर्शित किया गया है।

भवदीय

(सुधा दामोदर)
मुख्य महाप्रबंधक

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 13वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400001
Department of Banking Operations and Development, Central Office, 12th Floor, Central Office Bhavan, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400001
टेलीफोन /Tel No: 22661602 फैक्स/Fax No: 22705691 Email ID: cgmicdbodco@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध/धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व से संबंधित मास्टर परिपत्र

प्रयोजन

बैंकों से कहा गया था कि वे ग्राहकों के खाते खोलने और संदेहास्पद लेनदेन पर नजर रखने के लिए ग्राहकों की पहचान के मामले में एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करें ताकि संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट उपयुक्त प्राधिकारियों को दी जा सके। धन शोधन निवारण मानदंडों और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए ''फाइनेन्शल एक्शन टास्क फोर्स'' (एफएटीएफ) द्वारा दी गयी सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में इन ''अपने ग्राहक को जानिए'' दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है । एफएटीएफ की सिफारिशों के आधार पर और बैंकिंग पर्यवेक्षण के संबंध में बासेल समिति द्वारा बैंकों को ग्राहक के संबंध में उचित सावधानी बरतने के मामले में जारी किये गये पेपर के आधार पर (जहां भी आवश्यक समझा गया है वहां संकेतात्मक सुझावों के साथ) व्यापक दिशानिर्देश जारी किये गये हैं । बैंकों को सूचित किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि, ''अपने ग्राहक को जानिए'' और धन शोधन निवारण के मामले में अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से उपयुक्त नीति बनायी और लागू की जाती है ।

2. इस मास्टर परिपत्र का उद्देश्य 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंडों/धनशोधन निवारण मानकों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सभी अनुदेशों/दिशानिर्देशों को समेकित करना है । इस मास्टर परिपत्र को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर प्रदर्शित किया गया है ।

पिछले अनुदेश

इस संबंध में जारी परिपत्रों की सूची अनुबंध V में दी गयी है ।

प्रयोज्यता

i) मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेश अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों पर लागू हैं।

ii) ये दिशानिर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35क तथा धनशोधन निवारण (अभिलेख का रखरखाव) नियमावली 2005 के अंतर्गत जारी किये गये हैं। इन दिशानिर्देशों का किसी भी रूप में उल्लंघन अथवा अनुपालन न किया जाना बैंककारी विनियमन अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय होगा।

iii) यह मास्टर परिपत्र 30 जून 2012 तक इस विषय पर जारी सभी परिपत्रों को समेकित करता है ।

सूची

1	प्रस्तावना
1.1	"अपने ग्राहक को जानिए"/ धन शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध/ धन शोधन निवारण अधिनियम , 2002 के अंतर्गत बैंकों का दायित्व
1.2	ग्राहक की परिभाषा
2	दिशानिर्देश
2.1	सामान्य
2.2	'अपने ग्राहक को जानिए' संबंधी नीति
2.3	ग्राहक स्वीकरण नीति (सीएपी)
2.4	ग्राहक पहचान क्रियाविधि (सीआइपी)
2.5	ग्राहक पहचान संबंधी अपेक्षाएं - सांकेतिक दिशानिर्देश
2.6	परिचय प्राप्त कर खोले गए खाते
2.7	अल्प खाते- 16 दिसंबर 2010 की अधिसूचना
2.8	बैंक खातों का परिचालन तथा धनशोधन का माध्यम बने व्यक्ति
2.9	बैंक खाताधारक की सही पहचान के बारे में संतुष्ट नहीं है
2.10	लेनदेन की निगरानी
2.11	खाते बंद करना
2.12	जोखिम प्रबंधन
2.13	नयी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग - क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/स्मार्ट कार्ड/ गिफ्ट कार्ड
2.14	आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध
2.15	विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम ,1967की धारा 51 क के अंतर्गत आस्तियों पर रोक लगाना
2.16	वित्तीय कार्रवाई दल (एफएटीएफ) की सिफारिशों को लागू नहीं करने वाले अथवा अपर्याप्त रूप से लागू करने वाले देश
2.17	संपर्ककर्ता बैंकिंग (कॉरेस्पांडेंट बैंकिंग)
2.18	भारत के बाहर की शाखाओं और सहायक कंपनियों पर प्रयोज्यता
2.19	वायर अंतरण
2.20	प्रधान अधिकारी
2.21	लेनदेनों के रिकार्डों का रखरखाव /परिरक्षण की जानेवाली सूचना/रिकार्डों का परिरक्षण और रखरखाव / वित्तीय आसूचना इकाई - भारत को नकदी और संदिग्ध लेनदेनों की रिपोर्टिंग

2.22	नकदी तथा संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट
2.23	ग्राहक शिक्षण / कर्मचारियों का प्रशिक्षण / कर्मचारियों की भर्ती
3	अनुबंध
3.1	अनुबंध I - खाते खोलने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की संकेतक सूची
3.2	अनुबंध II - रिपोर्टिंग फार्मेट की सूची
3.3	अनुबंध III- 27 अगस्त 2009 का विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) आदेश
3.4	अनुबंध IV - भारत सरकार अधिसूचना दिनांक 16 दिसंबर 2010
3.5	अनुबंध V - मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

1. **प्रस्तावना**

1.1 "अपने ग्राहक को जानिए"/ धन शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध धन शोधन निवारण अधिनियम , 2002 के अंतर्गत बैंकों का दायित्व

"अपने ग्राहक को जानिए"/ धन शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध संबंधी दिशानिर्देशों का उद्देश्य धन शोधन अथवा आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित गतिविधियों के लिए अपराधी तत्त्वों द्वारा, जानबूझकर या अनजाने ही, बैंकों का इस्तेमाल किए जाने से रोकना है। "अपने ग्राहक को जानिए" क्रियाविधि से बैंकों को अपने ग्राहकों तथा उनके वित्तीय लेन-देन को जानने /समझने का बेहतर अवसर मिलता है जिससे बैंकों को अपने जोखिमों का प्रबंधन विवेकपूर्ण तरीके से करने में मदद मिलती है।

1.2 ग्राहक की परिभाषा

"अपने ग्राहक को जानिए" नीति के प्रयोजन हेतु ‘‘ग्राहक’’ की परिभाषा निम्नानुसार दी गयी है :

- कोई व्यक्ति या संस्था जो खाता खोलता /खोलती है और / या जिसका बैंक के साथ कारोबारी संबंध है;
- कोई ऐसा व्यक्ति या संस्था जिसकी ओर से खाता खोला जाता है (अर्थात् हितार्थी स्वामी);

[संदर्भ -12 फरवरी 2010 की भारत सरकार की अधिसूचना - पीएमएल नियमावली के नियम 9 का उप-नियम (1क); हितार्थी स्वामी से एक ऐसा नेचुरल व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी ग्राहक और /या व्यक्ति के अंतिम स्वामित्व या नियंत्रण मे है जिस के निमित्त किसी संव्यवहार को संचालित करता है और जिस के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति जो किसी न्यायिक व्यक्ति पर अंतिम रूप से प्रभावी नियंत्रण रखता है ।]

- व्यावसायिक मध्यस्थों, जैसे स्टॉक ब्रोकर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, सॉलीसिटर इत्यादि, द्वारा (जैसा कि कानून द्वारा अनुमत हो) किये गये लेन-देन के हिताधिकारी, और
- किसी वित्तीय लेन-देन (जो बैंक के लिए प्रतिष्ठा संबंधी या कोई अन्य बड़ा जोखिम पैदा कर सकता है - जैसे किसी एक लेन-देन से रूप में तार अंतरण या उच्च मूल्य का मांग ड्राफ्ट जारी किया जाना) से जुड़ा कोई व्यक्ति या संस्था ।

दिशानिर्देश

2.1 सामान्य

i) बैंकों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि खाता खोलने के लिए ग्राहकों से एकत्र की गयी सूचना को गोपनीय समझा जाता है और सेवाओं के प्रतिविक्रय या किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसे विवरण

दूसरों को प्रकट नहीं किया जाता है । अत: बैंक यह सुनिश्चित करें कि ग्राहकों से मांगी गयी सूचना संभावित जोखिम से संबद्ध / के अनुरूप हो, वे कोई ऐसी सूचना न मांगें जो अनावश्यक दखलंदाजी हो, तथा ऐसी सूचना इस संबंध में जारी किए गये दिशानिर्देशों के अनुरूप हो । ग्राहक से कोई अन्य सूचना उसकी सहमति से तथा खाता खोलने के बाद अलग से मांगी जानी चाहिए।

ii) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पचास हजार रुपये या उससे अधिक मूल्य के मांग ड्राफ्ट /तार अंतरण या किसी अन्य प्रकार से निधियों का विप्रेषण और यात्री चेक जारी करना, ग्राहक के खाते में डेबिट करके या चेक के आधार पर (नकद भुगतान के आधार पर नहीं) किया जाता है।

iii) 1 अप्रैल 2012 से बैंकों को 1 अप्रैल 2012 के अथवा उसके बाद तिथि वाले चेकों/ड्राफ्टों / भुगतान आदेशों/बैंकर चेकों का भुगतान , ऐसे लिखतों की जारी होने की तारीख से तीन महीने के बाद प्रस्तुत किए जाने पर नहीं करना चाहिए ।

iv) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां कहीं भी लागू हो, वहां विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाये ।

2.2 **"अपने ग्राहक को जानिए" संबंधी नीति**

बैंकों को "अपने ग्राहक को जानिए" संबंधी नीतियां बनाते समय निम्नलिखित चार प्रमुख तत्वों को शामिल करना चाहिए :

(क) ग्राहक स्वीकरण नीति;

(ख) ग्राहक पहचान क्रियाविधि;

(ग) लेनदेन की मॉनीटरिंग; और

(घ) जोखिम प्रबंधन

2.3 **ग्राहक स्वीकरण नीति (सी ए पी)**

क) बैंकों को ग्राहकों को स्वीकार करने के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित करके एक स्पष्ट ग्राहक स्वीकरण नीति तैयार करनी चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्राहक स्वीकरण नीति में बैंक में ग्राहक-संबंध के निम्नलिखित पहलुओं पर स्पष्ट दिशानिर्देश निश्चित कर दिये गये हैं ।

(i) अज्ञातनाम / छद्मनाम से या फर्जी /बेनामी नामों से कोई खाता न खोला जाय;

(संदर्भ: भारत सरकार की 16 जून 2010 की अधिसूचना, नियम 9, उप-नियम (1 ग) बैंकों को अज्ञातनाम खाता खोलने अथवा रखने की , अथवा छद्मनाम या फर्जी

नाम में अथवा ऐसे व्यक्ति जिनकी पहचान प्रकट नहीं की गई है अथवा सत्यापित नहीं हो पाई है की ओर से खाता खोलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।)

(ii) कारोबार के स्वरूप, ग्राहक के स्थान, भुगतान के तरीके, टर्न ओवर की मात्रा, ग्राहक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति इत्यादि के अनुसार जोखिम निर्धारण संबंधी मानदंड स्पष्टत: निश्चित कर दिए जाने चाहिए ताकि ग्राहकों को कम जोखिम, मध्यम जोखिम और उच्च जोखिम श्रेणियों (बैंक अन्य उपयुक्त नाम भी चुन सकते हैं - जैसे स्तर I, स्तर II और स्तर III) में विभाजित किया जा सके; जिन ग्राहकों के लिए बहुत उच्च स्तर की मॉनिटरिंग जरूरी है - जैसे पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन को आवश्यकता पड़ने पर और उच्चतर श्रेणी में रखा जा सकता है;

(iii) संभावित जोखिम के आधार पर और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अपेक्षाओं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों के मामले में दस्तावेजों संबंधी अपेक्षाएँ तथा एकत्र की जाने वाली अन्य सूचना;

(iv) जिन मामलों में बैंक ग्राहकों के संबंध में उचित सावधानी संबंधी उपाय लागू न कर पायें, अर्थात, जिन मामलों में ग्राहक के असहयोग के कारण या बैंक को उपलब्ध कराये गए आंकड़ों / सूचना की अविश्वसनीयता के कारण जोखिम की श्रेणी के अनुसार बैंक ग्राहक की पहचान का सत्यापन कर सकने में असमर्थ हो, उन मामलों में खाता न खोलना या मौजूदा खाते बंद कर देना। तथापि, यह जरूरी है कि इस मामले में पूर्व निश्चित व्यवस्था विद्यमान हो ताकि किसी ग्राहक को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े । उदाहरण के लिए किसी ग्राहक को, उसका खाता बंद करने के निर्णय का कारण बताते हुए उसे उचित नोटिस देने के बाद ही, काफी उच्च स्तर पर खाता बंद करने का निर्णय लिया जाना चाहिए ।

(v) जिन परिस्थितियों में किसी ग्राहक को किसी अन्य व्यक्ति / संस्था की ओर से काम करने की अनुमति दी जाए उनके बारे मे, स्थापित बैंकिंग विधि और व्यवहार के अनुरूप स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे अवसर आ सकते हैं जब किसी आदेश-धारक (मैनडेट होल्डर) द्वारा कोई खाता परिचालित किया जाए या किसी मध्यस्थ द्वारा न्यासीय क्षमता में /हैसियत से खाता खोला जाए, और

(vi) कोई नया खाता खोलने से पहले आवश्यक जांच-पड़ताल करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई ग्राहक किसी ऐसे व्यक्ति से न मिलता-जुलता हो जिसकी

आपराधिक पृष्ठभूमि हो या जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो (जैसे आतंकवादी व्यक्ति या आतंकवादी संगठन इत्यादि)।

ख) बैंक जोखिम की श्रेणी का ध्यान रखते हुए प्रत्येक नये ग्राहक के लिए एक प्रोफाइल तैयार करें । ग्राहक की प्रोफाइल में ग्राहक की पहचान, उसकी सामाजिक /आर्थिक हैसियत, उसके कारोबार का स्वरूप, उसके ग्राहकों के कारोबार तथा स्थान से संबंधित सूचना शामिल की जानी चाहिए । उचित सावधानी का स्वरूप और उसकी सीमा बैंक द्वारा अनुमानित जोखिम पर निर्भर होगी । तथापि ग्राहकों का प्रोफाइल तैयार करते समय बैंकों को ग्राहकों से केवल वही सूचना मांगनी चाहिए जो जोखिम की श्रेणी से संबंध रखती हो तथा वे ऐसी कोई सूचना न मांगें जो अनावश्यक दखलंदाजी हो । ग्राहक प्रोफाइल एक गोपनीय दस्तावेज होगा तथा उसमें दिये गये विवरण सेवाओं के प्रतिविक्रय या किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रकट नहीं किये जाएंगे ।

ग) जोखिम वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए, उन व्यक्तियों (उच्च निवल मूल्य वालों को छोड़कर) और संस्थाओं को, जिनके संबंध में पहचान तथा संपत्ति के स्रोतों का आसानी से पता लगाया जा सकता है और जिनके खातों के लेनदेन कुल मिलाकर ज्ञात प्रोफाइल के अनुरूप है, कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत करें। कम जोखिम वाले ग्राहकों के उदाहरण, वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी जिनके वेतन का ढांचा सुपरिभाषित है; समाज के निम्न आर्थिक स्तर वाले लोग जिनके खातों में छोटी शेषराशियाँ और कम लेनदेन होता है; सरकारी विभाग एवं सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां, विनियामक और सांविधिक निकाय आदि हो सकते हैं। ऐसे मामलों में, केवल पहचान और ग्राहक के पते का सत्यापन करने की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करना नीतिगत अनिवार्यता हो। जो ग्राहक बैंक के लिए औसत से उच्चतर जोखिम पैदा करने की संभावना रखते हैं उन्हें मध्यम अथवा उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाए जो ग्राहक की पृष्ठभूमि, कार्यकलाप का स्वरूप और स्थान, मूल देश, निधियों के स्रोत और ग्राहक के प्रोफाइल आदि पर निर्भर होगा। बैंक जोखिम मूल्यांकन पर आधारित उचित सावधानी बरतने के अधिक उपाय करें, जिसमें यह अपेक्षित होगा कि विशेषकर जिनके निधियों के स्रोत स्पष्ट नहीं हैं ऐसे उच्चतर जोखिम ग्राहकों के लिए गहन 'उचित सावधानी' लागू की जाए । नकदी की प्रमुखता वाले कारोबार से संबंधित जोखिमों के परिप्रेक्ष्य में बुलियन व्यापारियों (छोटे-व्यापारियों सहित) तथा जौहरियों के खातों को भी बैंकों द्वारा उच्चतर जोखिम संवर्ग में रखा जाना चाहिए जिनके लिए उच्चतर सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। उच्चतर सावधानी की आवश्यकता वाले ग्राहकों के आँय उदाहरण हैं; (क) अनिवासी ग्राहक, (ख) उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति, (ग) न्यास, धर्मादाय, गैर-सरकारी संगठन और दानराशियां प्राप्त करने वाले संगठन, (घ)

ऐसी कंपनियां जिनमें निकट परिवार में शेयरधारिता अथवा हितार्थी स्वामित्व है, (ङ) 'निष्क्रिय साझेदार' वाले फर्म, (च) विदेशी मूल के पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन (पी ई पी), (छ) अप्रत्यक्ष (नॉन फेस टू फेस) ग्राहक, (ज) उपलब्ध सार्वजनिक सूचना के अनुसार धोखेबाज़ के रूप में बदनाम ग्राहक आदि। तथापि, संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा उसकी एजेन्सियों द्वारा प्रवर्तित एनपीओ/एनजीओ को कम जोखिम वाले ग्राहकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

घ) ऊपर निर्दिष्ट की गयी मदों के अतिरिक्त बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को ग्राहकों, देशों तथा भौगोलिक क्षेत्रों और उत्पादों/सेवाओं/लेनदेनों/सुपुर्दगी चैनलों में भी अपने धनशोधन/आतंकी वित्तपोषण जोखिमों की पहचान तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए कदम उठाने चाहिए। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में जोखिम आधारित दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए कारगर ढंग से अपने जोखिम का प्रबंधन करने तथा उसे कम करने के लिए नीतियां, नियंत्रण तथा क्रियाविधियां स्थापित होनी चाहिए जो उनके बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित हों। इसी के एक उप-सिद्धांत के रूप में बैंकों से अपेक्षित है कि वे मध्यम एवं उच्च जोखिम रेटिंग वाले उत्पादों, सेवाओं तथा ग्राहकों के लिए सघन उपाय करें। इस संबंध में बैंक अपने जोखिम मूल्यांकन में बतौर मार्गदर्शी सिद्धांत के जुलाई 2009 में अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानकों पर जारी अपने मार्गदर्शी नोट के पूरक के रूप में भारतीय बैंक संघ द्वारा 18 मई 2011 को जारी की गयी जोखिम आधारित लेनदेन निगरानी (आरबीटीएम) के लिए मापदंडों पर 30 मार्च 2011 की रिपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। आईबीए मार्गदर्शी नोट में उच्च जोखिम ग्राहकों, उत्पादों तथा भौगोलिक क्षेत्रों की एक सांकेतिक सूची भी दी गई है।

ङ) यह बात ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि ग्राहक स्वीकरण नीति को अपनाना एवं उसका कार्यान्वयन अत्यधिक प्रतिबंधात्मक नहीं होना चाहिए और इसका परिणाम सामान्य जनता, विशेषकर वित्तीय और सामाजिक तौर पर प्रतिकूल परिस्थिति वाले लोगों को बैंकिंग सेवाएं नकारने में नहीं होना चाहिए।

2.4 ग्राहक पहचान क्रियाविधि (सी आइ पी)

क) बैंकों के बोर्डों द्वारा अनुमोदित उक्त नीति में विभिन्न स्तरों पर, अर्थात् बैंकिंग संबंध स्थापित करते समय, वित्तीय लेनदेन करते समय अथवा यदि पहले प्राप्त की गई ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी की विश्वसनीयता /सत्यता अथवा पर्याप्तता के बारे में बैंक को कोई संदेह हो तो उस समय, की जाने वाली ग्राहकों को पहचानने की क्रियाविधि की सुस्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। ग्राहक की पहचान से तात्पर्य ग्राहक को अभिनिर्धारित करना और विश्वसनीय, स्वतंत्र स्त्रोत दस्तावेज़ों, डेटा या

सूचना द्वारा उनका सत्यापन करना। बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रत्येक नये ग्राहक, चाहे वह नियमित हो या कभी कदा आने वाला हो का अभिनिर्धारण अपनी संतुष्टि होने तक करने हेतु आवश्यक पर्याप्त जानकारी और उसके बैंकिंग संबंध के अभिप्रेत स्वरूप के प्रयोजन की जानकारी प्राप्त करें। संतुष्ट होने का अर्थ यह है कि संबंधित बैंक सक्षम प्राधिकारियों को इस बात से संतुष्ट करा सकता है कि मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन में ग्राहक के संबंध में जोखिम के स्वरूप पर आधारित उचित सावधानी बरती गई है। इस प्रकार का जोखिम आधारित दृष्टिकोण बैंकों के अनावश्यक खर्च से बचने तथा ग्राहकों की दृष्टि से बोजिल व्यवस्था को टालने के लिए आवश्यक है। जोखिम निर्धारण के अलावा, आवश्यक सूचना/दस्तावेज़ों का स्वरूप भी ग्राहक के प्रकार (वैयक्तिक, कंपनी आदि) पर निर्भर होगा। जो ग्राहक 'नेचुरल' व्यक्ति हैं बैंकों को चाहिए कि उनसे उनकी पहचान उनका पता/स्थान सत्यापित करने के लिए पर्याप्त अभिनिर्धारण डेटा तथा उनका हाल ही का फोटोग्राफ भी प्राप्त करें। जो ग्राहक विधिक व्यक्ति अथवा संस्थाएँ हैं, उनके लिए बैंक को चाहिए कि वे (i) उचित एवं संगत दस्तावेजों के माध्यम से उक्त विधिक व्यक्ति /संस्था के विधिक दर्जे का सत्यापन करें, (ii) विधिक व्यक्ति /संस्था की ओर से कार्य करने का दावा करने वाले व्यक्ति के बारे में यह सत्यापित करें कि उसे इसके लिए प्राधिकृत किया गया है, और उस व्यक्ति विशेष की पहचान को सत्यापित किया जाए, (iii) ग्राहक का स्वामित्व और नियंत्रण संरचना को समझें और अंततः विधिक व्यक्ति का नियंत्रण करने वाले 'नेचुरल' व्यक्तियों को निर्धारित करें। बैंकों के मार्गदर्शन के लिए कुछ विशिष्ट मामलों के संबंध में ग्राहक पहचान अपेक्षाएँ , विशेषकर ऐसे विधिक व्यक्ति के संबंध में जिनके लिए अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है, नीचे पैरा 2.5 में दी गयी हैं । तथापि, बैंक ऐसे व्यक्तियों /संस्थाओं के साथ व्यवहार संबंधी अपने अनुभव, सामान्य बैंकरों के विवेक तथा स्थापित प्रथाओं के अनुसार विधिक आवश्यकताओं के आधार पर अपने आंतरिक दिशानिर्देश तैयार करें। यदि बैंक ग्राहक स्वीकृति नीति के अनुसरण में ऐसे खातों को स्वीकार करने का निर्णय लेता है तो संबंधित बैंक को चाहिए कि वे हितार्थी स्वामी /स्वामियों को अभिनिर्धारित करने हेतु समुचित कदम उठाएँ और उसकी /उनकी पहचान इस प्रकार करें ताकि इस बात की संतुष्टि हो जाए कि हितार्थी स्वामी कौन हैं। (संदर्भ -16 जून 2010 की भारत सरकार की अधिसूचना - पीएमएल नियमावली के नियम 9 का उप-नियम (1क))

ख) वित्तीय लेनदे नों की बढ़ती हुई जटिलता और संख्या के कारण यह आवश्यक है कि एक बैंक के भीतर, सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली के भीतर और सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली के भीतर ग्राहकों की एक से अ धिक पहचान न हो। इस लक्ष्य को प्रत्येक ग्राहक के लिए एक विशिष्ट पहचान कोड प्रारंभ करके प्राप्त किया जा सकता है । विशिष्ट पहचान कोड (यूसीआईसी) से

ग्राहकों की पहचान करने , उनके द्वारा ली गई सुविधाओं का पता लगाने और समग्र रूप में वित्तीय लेनदेन की निगरानी रखने में बैंकों को मदद मिलेगी तथा ग्राहकों का जोखिम प्रोफ़ाइल तैयार करने के लिए बैंक बेहतर दृष्टिकोण अपना सकेंगे। इससे ग्राहकों को बैंकिंग परिचालन में भी आसानी होगी। यद्यपि कुछ बैंक पहले से ही अपने ग्राहकों के लिए संबंध संख्या आदि प्रदान करके यूसीआईसी का प्र योग कर रहे हैं, अन्य बैंकों ने इस प्रथा को नहीं अपनाया है । अत: बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने सभी मौजूदा ग्राहकों को यूसीआईसी आबंटित करने के लिए कदम उठा यें, और इसका आरंभ ग्राहकों के साथ किसी भी न ये संबंध की शुरुआत करते समय करें। इसी तरह प्रत्येक मौजूदा ग्राहक को भी मई 2013 के अंत तक यूसीआईसी आबंटित किया जाए।

ग) जहां कहीं धनशोधन अथवा आतंकवादी वित्तपोषण की आशंका हो अथवा जब अन्य बातों के कारण ऐसा विश्वास उत्पन्न हो कि कोई ग्राहक असल में कम जोखिम वाला नहीं है तो बैंकों को खाता खोलने से पहले ग्राहक के संबंध में पूरी तरह से समुचित सावधानी बरतनी चाहिए ।

घ) जहां कहीं धनशोधन अथवा आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के वित्तपोषण की आशंका हो अथवा जहां पूर्व में प्राप्त ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी की पर्याप्तता अथवा सत्यता के संबंध में संदेह हो , वहां बैंकों को बरते गए समुचित सावधानी के उपायों की समीक्षा करनी चाहिए जिसमें ग्राहक की पहचान का पुन: सत्यापन और व्यावसायिक संबंध के प्रयोजन तथा अभिप्रेत स्वरूप संबंधी जानकारी प्राप्त करना शामिल है।[संदर्भ: 16 जून 2010 की भारत सरकार की अधिसूचना - धनशोधन निवारण नियमावली के नियम 9 का उप-नियम(1घ)]

ङ) यह पाया गया है कि कुछ नजदीकी रिश्तेदारों को, उदाहरण के लिए, अपने पति, पिता/माता तथा पुत्र के साथ रहने वाली पत्नी, पुत्र, पुत्री तथा माता-पिता आदि, को कुछ बैंकों में खाता खोलने में कठिनाई हो रही है क्योंकि पते के सत्यापन के लिए आवश्यक यूटिलिटी बिल उनके नाम पर नहीं हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में बैंक भावी ग्राहक जिस रिश्तेदार के साथ रहता है उससे इस आशय का एक घोषणा पत्र कि खाता खोलने के लिए इच्छुक उक्त व्यक्ति (भावी ग्राहक) उसका रिश्तेदार है और उसके साथ रहता है तथा उसका पहचान दस्तावेज तथा यूटिलिटी बिल प्राप्त कर सकता है। पते के और अधिक सत्यापन के लिए बैंक डाक से प्राप्त पत्र जैसे अनुपूरक साक्ष्य का उपयोग कर सकता है। इस विषय पर शाखाओं को परिचालन संबंधी अनुदेश जारी करते समय बैंकों को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का भाव ध्यान में रखना चाहिए और उन व्यक्तियों को

जिन्हें कम जोखिम वाले ग्राहकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, होने वाली अनुचित कठिनाइयों को टालना चाहिए।

च) ग्राहक द्वारा एक ही बैंक की एक शाखा से दूसरी शाखा में अपने खाते को अंतरित करने के लिए बैंक से संपर्क करने पर कुछ बैंक नए खाते खोलने पर जोर देते हैं। बैंकों को सूचित किया जाता है की बैंक की किसी एक शाखा द्वारा एक बार केवाइसी किए जाने पर वह केवाइसी बैंक के भीतर खाते के अंतरण के लिए वैध होनी चाहिए यदि संबंधित खाते के लिए पूर्ण केवाइसी प्रक्रिया की गई हो। ग्राहक को अपने खाते को बिना किसी प्रतिबंध के एक शाखा से दूसरे शाखा में अंतरित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। किसी व्यक्ति का सही पता पाने की केवाइसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए, इस तरह के अंतरण के बाद अंतरिती शाखा द्वारा ग्राहक से उसके नये पते को सत्यापित करने वाले दस्तावेज प्राप्त किये जा सकते हैं।

छ) खाता खोलने के बाद बैंकों को ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी (फोटोग्राफ सहित) को आवधिक रूप से अद्यतन करने की एक प्रणाली भी प्रारंभ करनी चाहिए। इस तरह से ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी को अद्यतन बनाने की आवधिकता कम जोखिम श्रेणी के ग्राहकों के मामले में पांच वर्ष में एक बार से कम नहीं होनी चाहिए और उच्च तथा मध्यम जोखिम श्रेणियों के मामले में दो वर्ष में एक बार से कम नहीं होनी चाहिए। इस तरह का सत्यापन इस बात पर ध्यान दिये बिना किया जाना चाहिए कि खाते का एक शाखा से दूसरी शाखा में अंतरण हुआ है अथवा नहीं और बैंकों को निर्धारित विधि के अनुसार लेनदेन का रिकार्ड भी रखना होगा।

ज) ग्राहक की पहचान के लिए जिस प्रकार के दस्तावेजों/सूचना को विश्वसनीय माना जा सकता है, उनकी एक निर्देशात्मक सूची इस मास्टर परिपत्र के अनुबंध I में दी गयी है । यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुबंध I में उल्लिखित स्थायी सही पता का तात्पर्य उस पते से हैं जिस पर कोई व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है । किसी युटिल्टी बिल या ग्राहक के पते के सत्यापन के लिए बैंक द्वारा स्वीकृत किसी अन्य दस्तावेज में उल्लिखित पते को स्थायी सही पता माना जा सकता है ।

झ) हमें यह सूचना मिली है कि अनुबंध I में प्रस्तुत निर्देशात्मक सूची को कुछ बैंक एक संपूर्ण सूची के रूप में मानते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जनता के एक हिस्से को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच से वंचित रखा जा रहा है। अत: बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इस संबंध में अपने मौजूदा आंतरिक अनुदेशों की समीक्षा करें।

2.5 ग्राहक पहचान संबंधी अपेक्षाएं - सांकेतिक दिशानिर्देश

i) वॉक-इन ग्राहक

गैर-खाता आधारित ग्राहक अर्थात् वॉक-इन ग्राहक के लेनदेन के मामले में यदि लेनदेन की राशि पचास हजार रुपये या उससे अधिक हो, चाहे वह एकल लेनदेन हो या आपस में जुड़े प्रतीत होनेवाले कई लेनदेन हों, तो ग्राहक की पहचान तथा पते का सत्यापन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि बैंक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई ग्राहक अपना लेनदेन जानबूजकर 50,000/- रुपये की उच्चतम सीमा से कम के लेनदेनों की श्रृंखला में कर रहा है, तो बैंक को उस ग्राहक की पहचान तथा पते का सत्यापन करना चाहिए तथा एफआइयू-आइएएनडी के पास एक संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) फाइल करने पर भी विचार करना चाहिए ।

टिप्पणी : धनशोधन निवारण नियमावली, 2005 के नियम 9 के उप-नियम (1) खण्ड (ख) (ii) के अनुसार बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा अंतरण परिचालनों के लिए ग्राहक की पहचान का सत्यापन किया जाना आवश्यक है ।

ii) वेतनभोगी कर्मचारी

वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में यह स्पष्ट किया जाता है कि धोखाधड़ी के जोखिम को नियंत्रित रखने के लिए यह आवश्यक है कि बैंक ऐसे प्रमाण पर तभी भरोसा करें जब वे प्रतिष्ठित कार्पोरेट और अन्य संस्थाओं द्वारा जारी किये गये हों तथा बैंकों को इस संबंध में सचेत होना चाहिए कि इस प्रकार के प्रमाण पत्र /पत्र जारी करने के लिए संबंधित नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी कौन है । साथ ही, नियोक्ता के प्रमाण पत्र के **अलावा**, बैंक को कार्पोरेट तथा अन्य संस्थाओं के वेतनभोगी कर्मचारियों के बैंक खाते खोलने के लिए केवाइसी प्रयोजन के लिए धनशोधन निवारण नियमावली में दिये गये अधिकृत वैध दस्तावेजों (अर्थात् पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि) या उपयोगिता सेवा बिलों में से कम-से-कम एक की प्रस्तुति पर जोर देना चाहिए ।

iii) न्यास/नामिती अथवा न्यासी खाते

यह संभावना हो सकती है कि न्यास /नामिती अथवा न्यासी खातों का, ग्राहक पहचान क्रियाविधियों से बचने के लिए उपयोग किया जा सकता है । बैंकों को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि क्या ग्राहक न्यासी /नामिती अथवा किसी अन्य मध्यवर्ती के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य कर रहा है यदि ऐसा है तो बैंक को उन ग्राहकों से, जिनकी ओर से वे काम कर रहे हैं, उन मध्यवर्तियों अथवा व्यक्तियों की पहचान का संतोषजनक साक्ष्य प्राप्त करने पर जोर देना

चाहिए तथा न्यास के स्वरूप तथा अन्य निर्धारित व्यवस्थाओं के ब्यौरे भी प्राप्त करना चाहिए। किसी न्यास के लिए खाता खोलते समय, बैंकों को न्यासियों तथा न्यास के अवस्थापकों (जिनमें न्यास में आस्तियां लगाने वाला कोई व्यक्ति शामिल है), अनुदान देनेवालों, संरक्षकों, हिताधिकारियों तथा - हस्ताक्षरकर्ताओं की पहचान को सत्यापित करने की उचित सावधानी बरतनी चाहिए। हिताधिकारियों को जब भी परिभाषित किया गया हो तब उनकी पहचान कर ली जानी चाहिए। फाउंडेशन के मामले में, संस्थापक प्रबंधकों /निदेशकों तथा हिताधिकारियों को जब भी परिभाषित किया गया हो तब उनका सत्यापन करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए ।

iv) कंपनियों तथा फर्मों के खाते

बैंकों को बैंकों में खाते रखने के लिए व्यक्तियों द्वारा बिजनेस कंपनियों का एक 'फ्रंट' के रूप में उपयोग करने के मामले में सतर्क रहना आवश्यक है । बैंकों को कंपनी के नियंत्रक ढांचे की जांच करनी होगी, निधियों के स्रोत का पता करना होगा तथा उन नेचुरल व्यक्तियों की पहचान करनी होगी जिनका नियंत्रक हित है और जो प्रबंधतंत्र का एक हिस्सा हैं । इन अपेक्षाओं को जोखिम बोध के अनुसार कम-अधिक किया जा सकता है -उदाहरण के लिए, सार्वजनिक कंपनी के मामले में सभी शेयरधारकों को पहचानना आवश्यक नहीं होगा ।

v) व्यावसायिक मध्यवर्तियों द्वारा खोले गये ग्राहक खाते

क) जब किसी बैंक को यह पता है अथवा ऐसा विश्वास करने का कारण है कि व्यावसायिक मध्यवर्ती द्वारा खोला गया ग्राहक खाता किसी एकल ग्राहक के लिए है तो उस ग्राहक की पहचान कर ली जानी चाहिए। बैंकों के पास म्युच्युअल निधियों, पेन्शन निधियों अथवा अन्य प्रकार की निधियों जैसी संस्थाओं की ओर से व्यावसायिक मध्यवर्तियों द्वारा प्रबंधित 'समूहित' खाते हो सकते हैं। बैंकों में विविध प्रकार के ग्राहकों के लिए 'ऑन डिपाज़िट' अथवा 'इन एस्क्रो' धारित निधियों के लिए वकीलों /चार्टर्ड एकाउंटंट्स् अथवा स्टॉक ब्रोकरों द्वारा प्रबंधित 'समूहित' खाते भी होते हैं। जहां मध्यवर्तियों द्वारा धारित निधियां बैंक में एक साथ मिश्रित नहीं होती हैं और बैंक में 'उप-खाते' भी हैं, जिनमें से प्रत्येक किसी एक हितार्थी स्वामी का खाता हो, वहां सभी हितार्थी स्वामियों की पहचान करनी होगी। जहां ऐसी निधियों को बैंक में एक साथ मिश्रित किया गया है, वहां भी बैंक को हितार्थी स्वामियों की पहचान करनी चाहिए। जहां बैंक, किसी मध्यवर्ती द्वारा की गयी 'ग्राहक संबंधी उचित सतर्कता' पर निर्भर हैं वहां उन्हें अपने को इस बात से संतुष्ट करना होगा कि मध्यवर्ती नियंत्रित तथा पर्यवेक्षित है और उसने अपने यहां ''अपने ग्राहक को जानिए'' अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर ली है । यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्राहक को जानने का अंतिम दायित्व बैंक का है ।

ख) अतः मौजूदा एएमएल/सीएफटी ढांचे में वकील तथा चार्टर्ड एकाउंटंट्स आदि जैसे व्यावसायिक मध्यवर्तियों के लिए अपने ग्राहकों की ओर से खाता रखना संभव नहीं है, क्योंकि वे ग्राहक गोपनीयता से बंधे होते हैं और जिसके कारण ग्राहक के ब्योरे प्रकट करना प्रतिबंधित है। अतः इस बात को फिर से दोहराया जाता है कि बैंकों को वकीलों तथा चार्टर्ड एकाउंटंट्स आदि ज्जैसे व्यावसायिक मध्यवर्तियों द्वारा ग्राहक/ग्राहकों की ओर से खाता खोलने तथा/अथवा रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए क्योंकि वे ग्राहक गोपनीयता की व्यावसायिक बाध्यता के कारण खाते के स्वामी की सही पहचान प्रकट नहीं कर सकते । इसके अलावा,ऐसे किसी भी व्यावसायिक मध्यवर्ती को किसी ग्राहक की ओर से खाता खोलने की अनुमति नहीं दी जानीच्चाहिए जो किसी बाध्यता से संबंध होने के कारण जिस ग्राहक की ओर से खाता रखा गया है उसकी सही पहचान अथवा खाते के लाभार्थी स्वामी की सही पहचान जानने तथा सत्यापित करने अथवा लेनदेन के सही स्वरूप तथा प्रयोजन को समजने की बैंक की क्षमता को प्रतिबंधित करता है ।

vi)भारत के बाहर रहने वाले राजनीतिसम्बद्ध व्यक्ति (पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन-पीइपी)के खाते

क)राजनीतिसम्बद्ध व्यक्ति वे हैं जो विदेश में प्रमुख सार्वजनिक कार्य करते हैं अथवा ऐसे कार्य उन्हें सौंपे गये हैं।उदाहरण के लिए राज्यों अथवा सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, वरिष्ठ सरकारी /न्यायिक/ सेना अधिकारी, राजकीय स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ कार्यपालक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता इत्यादि बैंक संबंध स्थापित करने का उद्देश्य रखने वाले इस श्रेणी के किसी व्यक्ति /ग्राहक के मामले में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करें तथा उस व्यक्ति के संबंध में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समस्त जानकारी की जांच करें। बैंकों को राजनीतिसम्बद्ध व्यक्ति को ग्राहक के रूप में स्वीकार करने से पहले ऐसे व्यक्तियों की पहचान को सत्यापित करना चाहिए और इन निधियों के स्रोत की जानकारी हासिल करनी चाहिए। राजनीतिसम्बद्ध व्यक्तियों के लिए खाता खोलने का निर्णय ग्राहक स्वीकरण नीति में स्पष्टतः निर्धारित वरिष्ठ स्तर पर लिया जाए । बैंकों को चाहिए कि वे ऐसे खातों की निरंतर आधार पर उच्चतर निगरानी करें। इन उपर्युक्त मानदंडों को राजनीतिसम्बद्ध व्यक्ति के परिवार के सदस्यों अथवा नजदीकी रिश्तेदारों के खातों के मामले में भी लागू किया जाना चाहिए।

ख) किसी विद्यमान खाते का विद्यमान ग्राहक अथवा लाभार्थी स्वामी बाद में पीईपी हो जाए तो बैंकों को उक्त ग्राहक के साथ व्यावसायिक संबंध जारी रखने के लिए वरिष्ठ प्रबंध तंत्र का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए तथा पीईपी श्रेणी के ग्राहकों पर यथालागू ग्राहक संबंधी समुचित सावधानी उपाय उक्त खाते पर लागू करने चाहिए और खाते की निरंतर आधार पर अधिक मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए । ये अनुदेश उन खातों पर भी लागू होते हैं जहां कोई पीईपी अंतिम लाभार्थी स्वामी है ।

ग) साथ ही पीईपी खातों के संबंध में बैंकों के पास पीईपी, ऐसे ग्राहक जो पीईपी के परिवार के सदस्य हैं तथा ऐसे खाते जिनमें पीईपी अंतिम लाभार्थी स्वामी है, को पहचानने तथा उनके संबंध में ग्राहक संबंधी समुचित सावधानी उपाय लागू करने के लिए उपयुक्त और निरंतर जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएँ होनी चाहिए ।

vii) अप्रत्यक्ष ग्राहकों के खाते

टेलीफोन और इलैक्ट्रॉनिक बैंकिंग के प्रचलन से बैंकों द्वारा ग्राहकों के लिए अधिकाधिक खाते खोले जा रहें है जिसके लिए ग्राहकों के बैंक शाखा में आने की आवश्यकता नहीं होती। अप्रत्यक्ष ग्राहकों के मामले में, ग्राहक की सामान्य पहचान क्रियाविधि लागू करने के अलावा निहित उच्चतर जोखिम को कम करने के उद्देश्य से विशिष्ट और पर्याप्त क्रियाविधियों की आवश्यकता है। सभी प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रमाणीकरण पर ज़ोर दिया जाय और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त दस्तावेजों की माँग की जाए । ऐसे मामलों में, बैंक ग्राहक के दूसरे बैंक खाते के जरिए पहला भुगतान करने की अपेक्षा भी रख सकते है जिसमें 'अपने ग्राहक को जानिए' के समान मानकों का पालन होता है । सीमा पार ग्राहकों के मामले में ग्राहक के दस्तावेजों के साथ मेल मिलाने की अतिरिक्त कठिनाई होती है और ऐसी स्थिति में बैंक के तीसरी पार्टी को प्रमाणीकरण पहचान पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि तीसरी पार्टी एक विनियमित और पर्यवेक्षित संस्था है और वहां पर 'अपने ग्राहक को जानिए' प्रणाली पर्याप्त रूप में कार्यरत है।

viii) मालिकाना प्रतिष्ठानों के खाते

स्वत्वधारी पर लागू ग्राहक पहचान प्रक्रिया संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के अलावा बैंक/वित्तीय संस्थाएं मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम से खाते खोलने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज की मांग करें तथा उनका सत्यापन करें :

- नाम का प्रमाण, प्रतिष्ठान का पता तथा गतिविधियां जैसे पंजीकरण प्रमाणपत्र (पंजीकृत प्रतिष्ठान के मामले में), दुकान और स्थापना अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका

प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/लाइसेंस, बिक्री और आयकर रिटर्न, सीएसटी/वीएटी प्रमाणपत्र, बिक्री कर/सेवा कर/व्यावसायिक कर प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/पंजीकरण दस्तावेज, पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस जैसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, इंडियन मेडिकल कौंसिल, खाद्य और औषधि नियंत्रण प्राधिकारी आदि द्वारा जारी व्यवसाय प्रमाणपत्र, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार प्राधिकरण /विभाग द्वारा मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम पर जारी किया गया पंजीकरण/लाईसेंसिंग दस्तावेज। बैंक खाता खोलने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में डीजीएफटी के कार्यालय द्वारा मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम जारी की गई आयातक निर्यातक कूट संख्या(आइईसी), एकल स्वामी के नाम में पूर्ण आयकर विवरणी (न कि सिर्फ पावती), जिसमें फर्म की आय दर्शाई गई हो और जो आय कर के प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् प्रमाणित/ स्वीकृत हो तथा स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम से बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन बिल जैसे उपयोगिता सेवा बिल भी बैंक स्वीकार कर सकते हैं।

ख) उपर्युक्त में से कोई दो दस्तावेज पर्याप्त होंगे । दस्तावेज मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम से होने चाहिए ।

2.6 परिचय प्राप्त कर खोले गए खाते

(i) यद्यपि उपर्युक्त परिपत्र में पहचान तथा पते के सबूत के संबंध में दस्तावेजों की अपेक्षाओं के बारे में लचीलेपन का प्रावधान किया गया है, तथापि यह हमारे ध्यान में लाया गया है कि बहुत-से व्यक्ति मुख्यत: दोनों शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाले निम्न-आय वर्ग के लोग अपनी पहचान तथा पते के संबंध में ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं जो बैंक के लिए संतोषप्रद हों । इससे वे बैंक सेवाएं प्राप्त नहीं कर सकेंगे और परिणामत: वे वित्तीय सुविधाओं से दूर रहेंगे । तदनुसार 'अपने ग्राहक को जानिए' क्रियाविधि में ऐसे व्यक्तियों के लिए भी खाते खोलने का प्रावधान है जो अपने सभी खातों में कुल मिलाकर पचास हजार (50,000/- रुपये) से अधिक शेष राशि रखना नहीं चाहते और वर्ष में जिनकी कुल जमा राशि एक लाख (1,00,000/- रुपये) से अधिक होने की संभावना न हो । ऐसे मामले में यदि खाता खोलने के लिए इच्छुक व्यक्ति इस मास्टर परिपत्र के अनुबंध I में उल्लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ हो तो बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन खाता खोल सकते हैं :

ऐसे अन्य खाताधारक से परिचय जिसने 'अपने ग्राहक को जानिए' की पूरी क्रियाविधि के अनुसार अपेक्षित शर्तें पूरी की हैं । परिचय कर्ता का खाता बैंक के पास कम-से-कम छह महीने से हो और

उसमें संतोषजनक रूप में लेनदेन किये गये हों । खाता खोलने का प्रस्ताव करनेवाले ग्राहक का छाया चित्र (फोटोग्राफ) तथा उसका पता परिचयकर्ता द्वारा प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है ।

अथवा

ग्राहक की पहचान और पते के लिए अन्य कोई साक्ष्य जिससे बैंक को संतुष्टि हो जाए ।

i) उपर्युक्त प्रक्रिया से खाता खोलते समय, ग्राहक को यह जानकारी मिल जानी चाहिए कि यदि किसी भी समय बैंक में उसके सभी खातों की (कुल मिलाकर) शेष राशि पचास हजार रुपये (50,000/- रुपये) से अधिक हो जाती है या खाते में कुल जमा एक लाख (1,00,000/-रुपये) या उससे अधिक हो जाती है तो आगे किसी भी प्रकार के लेन-देन करने की अनुमति तब तक नहीं होगी, जब तक कि 'अपने ग्राहक को जानिए' (के. वाई. सी.) प्रक्रियाएं पूरी नहीं कर ली जाती हैं । ग्राहक को असुविधा नहीं हो, इसलिए जब शेष राशि चालीस हजार रुपये (40,000/- रुपये) तक पहुंच जाती है या साल भर में कुल जमा अस्सी हजार (80,000 /- रुपये) तक हो जाती है तब बैंक अपने ग्राहक को सूचित करें कि के. वाई. सी प्रक्रिया लागू करने के लिए उपयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा खाते का परिचालन बंद कर दिया जाएगा।

2.7 अल्प खाते

दिनांक 16 दिसंबर 2010 की भारत सरकार की अधिसूचना सं. 14/2010/एफ. सं. 6/ 2/ 2007-ई.एस. के अनुसार धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव , सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों , वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) नियमावली , 2005 में संशोधन किया गया है । अधिसूचना इस परिपत्र के अनुबंध IV में दी गयी है।

अ. अल्प खाते

2. अधिसूचना के नियम 2 खंड (च ख) के अनुसार अल्प खाते का तात्पर्य किसी बैंकिंग कंपनी में बचत खाता है जिसमें -

(i) एक वित्तीय वर्ष के दौरान समग्र जमाराशि (क्रेडिट) एक लाख रुपये से अधिक नहीं होती है;

(ii) किसी एक महीने में सभी आहरणों और अंतरणों की राशि मिलाकर दस हजार रुपये से अधिक नहीं होती है तथा

(iii) किसी भी समय खाते में शेष राशि पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होती है।

ख. अधिसूचना के नियम (2अ) के अंतर्गत अल्प खाते खोलने की विस्तृत क्रियाविधि निर्धारित की गई है । बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अल्प खाते खोलने के समय उक्त नियमों के अंतर्गत उल्लिखित क्रियाविधि का पालन सुनिश्चित करें ।

आ. आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज

क. उक्त अधिसूचना में धनशोधन निवारण नियमों के नियम 2(1) खंड (घ) के अंतर्गत दिए गए आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज' की परिभाषा का दायरा भी बढ़ा दिया गया है ताकि उसमें नरेगा (एनआरईजीए) द्वारा जारी जॉब कार्ड जो राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हों अथवा भारतीय अद्वितीय पहचान प्राधिकरण(यूआइडीएआइ) द्वारा जारी पत्रों को जिनमें व्यक्ति का नाम, पता तथा आधार संख्या दी गई हो,को शामिल किया जा सके।

ख. इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी बैंक ने **केवल** नरेगा जॉब कार्ड को ही कोई खाता खोलने के लिए अपेक्षित पूरा केवाइसी दस्तावेज माना हो (इस मास्टर परिपत्र का पैराग्राफ 2.4 (ज) भी देखें) तो इस प्रकार खोले गए बैंक खाते पर अधिसूचना के अंतर्गत अल्प खाते के लिए निर्धारित शर्तें और सीमाएं लागू होंगी ।

ग. तदनुसार, उपर्युक्त संदर्भित अधिसूचना के नियम 2अ के अंतर्गत निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार खोले गए सभी खाते **और केवल** नरेगा कार्ड के आधार पर खोले गए अन्य सभी खाते अल्प खाते माने जाने चाहिए जिन पर नियम 9 के उप-नियम (2अ) के खंड (i) से खंड (v) तक निर्धारित शर्तें लागू होंगी ।

घ) इस बात को पुनः दोहराया जाता है कि 'आधार' के आधार पर खाते खोलते समय भी बैंकों को मौजूदा अनुदेशों के अनुसार ग्राहक के सही पते के संबंध में अपेक्षित साक्ष्य प्राप्त करके संतुष्टि कर लेनी चाहिए ।

2.8 बैंक खातों का परिचालन तथा धनशोधन का माध्यम बने व्यक्ति

क) यह बात हमारे ध्यान में लाई गई है कि अपराधियों द्वारा धोखाधड़ी वाली योजनाओं (*उदाहरणार्थ* फिशिंग तथा पहचान की चोरी) से होने वाली आय का शोधन करने के लिए कुछ ऐसे व्यक्तियों की सेवा ली जाती है जो धनशोधन के माध्यम बन गये है। ऐसे अपराधी तीसरे पक्षकारों को 'धनशोधन के माध्यम' के रूप में कार्य करने के लिए भर्ती कर अवैध रूप से जमा खातों तक पहुँच बना लेते हैं । कुछ मामलों में ये तीसरे पक्षकार निर्दोष हो सकते हैं लेकिन अन्य मामलों में अपराधियों के साथ उनकी मिलीभगत हो सकती है ।

ख)'धनशोधन के माध्यम' संबंधी लेनदेन में एक बैंक खाताधारक व्यक्ति को भर्ती किया जाता है जो चेक जमा अथवा तार अंतरण प्राप्त करे और तत्पश्चात् कमीशन भुगतान की एक निश्चित राशि घटाकर इन निधियों को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर धारित खातों में अथवा अन्य व्यक्तियों को अंतरित करे। ऐसे व्यक्तियों को स्पैम ई-मेल, भर्ती की मान्य वेबसाइटों पर विज्ञापनों, सोशल नेटवर्किंग साइटों, इंस्टैंट मैसेजिंग तथा समाचार पत्रों में विज्ञापनों जैसे तमाम तरीकों से भर्ती किया जा सकता है। जब धनशोधन के माध्यम बने ऐसे व्यक्ति पकड़े जाते हैं तो प्राय: उनके बैंक खाते निलंबित कर दिए जाते हैं जिसके कारण धोखाधड़ी में हिस्सेदारी के लिए संभावित कानूनी कार्रवाई भुगतने के अलावा उन्हें असुविधा और भारी वित्तीय क्षति भी उठानी पड़ती है।कई बार तो धनशोधन के माध्यम बने ऐसे व्यक्तियों के पते और संपर्क के ब्योरे ही नकली निकलते हैं या वे अद्यतन नहीं होते जिससे प्रवर्तन एजेंसियों को खाताधारक का पता लगाने में कठिनाई होती है।

ग) यदि बैंक अपने 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध/धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व पर मास्टर परिपत्र में निहित दिशानिर्देशों का पालन करें तो धनशोधन के माध्यम बने ऐसे खातों के परिचालन को कम-से-कम किया जा सकता है। अत: बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ग्राहक को जानिए/धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध पर समय-समय पर जारी तथा खाता खुलने के बाद ग्राहक पहचान संबंधी आंकड़ों को आवधिक रूप से अद्यतन करने संबंधी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें ताकि वे ऐसे धोखेबाजों द्वारा अपना और अपने ग्राहकों का दुरुपयोग होने से बचाव कर सकें।

2.9 बैंक खाता धारक की सही पहचान के बारे में संतुष्ट नहीं है

उन परिस्थितियों में जहां बैंक को यह विश्वास हो गया है कि वह खाता धारक की सही पहचान के संबंध में संतुष्ट नहीं हो सकेगा तो उसे एफआइयू-आइएनडी के पास एक संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट भी फाइल करनी चाहिए।

2.10 लेनदेन की निगरानी

क) ''अपने ग्राहक को जानिए'' संबंधी कारगर क्रियाविधियों का अनिवार्य तत्व है निरंतर निगरानी। बैंक केवल तभी प्रभावी ढंग से अपनी जोखिम का नियंत्रण कर सकते हैं और उसे कम कर सकते हैं जब उनमें ग्राहक की सामान्य और समुचित गतिविधि की समझ हो ताकि इससे गतिविधि के नियमित पैटर्न से बाहर के लेनदेनों का पता लगाने के साधन उनके पास उपलब्ध हो जाएं। तथापि, निगरानी

किस सीमा तक होगी वह उस खाते के जोखिम की संवेदनशीलता पर निर्भर होगा। बैंकों को चाहिए कि वे सभी जटिल, असामान्य रूप से बड़े लेनदेनों और सभी ऐसी असामान्य बातें, जिनका कोई सुस्पष्ट आर्थिक अथवा प्रकट वैध प्रयोजन न हो, की ओर विशेष ध्यान दें । बैंक खातों की किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए प्रारंभिक सीमाएं निर्धारित करें और इन सीमाओं से अधिक के लेनदेनों की ओर विशेष ध्यान दें। बड़ी नकद राशि वाले लेनदेन, जो संबंधित ग्राहक की सामान्य और अपेक्षित गतिविधि के अनुरूप नहीं हैं, की ओर बैंक का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित होना चाहिए। रखी गयी शेष राशि के आकार के अनुरूप न होने वाले बहुत बड़े लेनदेन यह दर्शाते हैं कि उस खाते से बड़ी-बड़ी निधियां निकाली जा रही है। उच्च जोखिम वाले खातों पर सख्त निगरानी रखी जानी चाहिए। प्रत्येक बैंक को ग्राहक की पृष्ठभूमि, जैसे - मूल का देश, निधियों के स्त्रोत, निहित लेनदेनों के प्रकार और जोखिम के अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे खातों के लिए महत्वपूर्ण संकेतक निश्चित करना चाहिए। बैंकों को एफआइयू -आइएनडी को संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) भेजते समय संदेहास्पद लेनदेनों की पहचान करने के लिए बुलियन व्यापारियों (छोटे-व्यापारियों सहित) तथा जौहरियों के खातों के साथ जुड़े उच्चतर जोखिम को ध्यान में रखना चाहिए । बैंकों को खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की एक प्रणाली आरंभ करनी चाहिए और इस संबंध में उचित सावधानी के और अधिक उपाय लागू करने की भी आवश्यकता है । ग्राहकों के जोखिम संवर्गीकरण की ऐसी समीक्षा छह महीने में **<u>कम से कम</u>** एक बार की जानी चाहिए।

ख) बहु-स्तरीय मार्केटिंग कंपनियों (एमएलएम) के खातों का आम जनता को उच्च लाभों का वादा करके एमएलएम कंपनी में अपने पैसे जमा करने का प्रलोभन देकर उन्हें ठगने के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसे जमाकर्ताओं को उच्च लाभों का आश्वासन दिया जाता है और ब्याज तथा मूलधन की चुकौती के लिए उत्तर दिनांकित चेक जारी किए जाते है। जब तक एमएलएम कंपनी के खाते में नए जमाकर्ताओं से पैसा आता रहता है तब तक चेक का भुगतान किया जाता है लेकिन एक बार यह शृंखला टूट जाए तो ऐसे सभी उत्तर दिनांकित लिखतों का भुगतान रुक जाता है। इसके परिणामस्वरूप आम जनता को ठगा जाता है और यह संबंधित बैंक के लिए प्रतिष्ठागत जोखिम है। यदि बैंक मार्केटिंग कंपनियों के खातों पर कड़ी निगरानी रखें तो ऐसी धोखा-धड़ियों को न्यूनतम रखा जा सकता है। उन मामलों में जहां कंपनी द्वारा बड़ी संख्या में चेक बुकों की मांग की गई हो, एक ही बैंक खाते में देश भर में बहुत सारी छोटी-छोटी जमाराशियां जमा की गयी हों (समान्यतः नकद रूप में) और जहां बड़ी संख्या में एक समान राशियों/तिथियों के चेक जारी किए जाते हों, वहाँ बैंक को ऐसी

जानकारी/आंकड़ों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए और यदि उन्हें खातों में असाधारण परिचालन मिलते हैं तो मामले को रिजर्व बैंक तथा राजस्व विभाग , वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एफ़आईयू-आईएनडी को तत्काल रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

ग) बैंकों को प्रत्येक ग्राहक के साथ व्यावसायिक संबंध के संबंध में निरंतर उचित सावधानी बरतनी चाहिए और लेनदेन की कड़ाई से जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे ग्राहक, उसके व्यवसाय तथा जोखिम प्रोफाइल एवं आवश्यक हो तो निधियों के स्रोत संबंधी बैंक की जानकारी से सुसंगत हैं। [संदर्भ: भारत सरकार की 16 जून 2010 की अधिसूचना-नियम 9, उप-नियम (1ख)]

घ) बैंकों द्वारा ग्राहकों का जोखिम संवर्गीकरण तथा ग्राहक विवरणों (प्रोफाइल्स) का समेकन व आवधिक अद्यतन एवं खातों में अलर्ट्स की मॉनीटरिंग व समापन जैसे कार्य केवाईसी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। तथापि, इस क्षेत्र में रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन में शिथिलता पायी गई है, जिससे बैंकों में परिचालनगत जोखिम की संभावना बढ़ जाती है। अत: बैंकों को केवाईसी/ एएमएल/सीएफ़टी पर विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन शब्द एवं अर्थ दोनों दृष्टियों से सुनिश्चित करना चाहिए। तदनुसार, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान सभी ग्राहकों का जोखिम संवर्गीकरण, ग्राहक विवरणों (प्रोफाइल्स) का समेकन व अद्यतन करने की प्रक्रिया समयबद्ध रीति से, लेकिन किसी भी हालत में मार्च 2013 के अंत तक, पूरी कर लें।

2.11 **खाते बंद करना**

जहां ग्राहक द्वारा जानकारी प्रस्तुत न करने तथा /अथवा ग्राहक के असहयोग के कारण बैंक को 'अपने ग्राहक को जानिए' उपाय लागू करना संभव नहीं है, वहां बैंक अपने ग्राहक को ऐसा निर्णय लेने के कारण स्पष्ट करने वाली एक सूचना जारी करने के बाद, खाता बंद करने अथवा उस ग्राहक से बैंकिंग /व्यावसायिक संबंध समाप्त करने पर विचार कर सकता है । ऐसे निर्णय उचित वरिष्ठ स्तर पर लेना आवश्यक है ।.

2.12 **जोखिम प्रबंधन**

क) बैंक के निदेशक बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योग्य क्रियाविधियों को स्थापित करके तथा उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करके, एक प्रभावी 'अपने ग्राहक को जानिए' कार्यक्रम लागू किया जाता है। इसमें उचित प्रबंधन निरीक्षण, प्रणालियां तथा नियंत्रण, कार्यों का पृथक्करण, प्रशिक्षण तथा अन्य संबंधित मामले शामिल होने चाहिए। बैंक की नीतियों तथा क्रियाविधियों के

प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक के भीतर ही उत्तरदायित्व का स्पष्ट विनियोजन किया जाए। बैंक को अपने बोर्ड के साथ परामर्श करके अपने मौजूदा तथा नये ग्राहकों का जोखिम प्रोफाइल तैयार करने, विभिन्न देशों, भौगोलिक क्षेत्रों के साथ कारोबार करने में जोखिम और विभिन्न उत्पादों/ सेवाओं/ लेनदेनों/ सुपुर्दगी चैनलों आदि, में भी जोखिम के मूल्यांकन की क्रियाविधियां बनानी चाहिए। उपर्युक्त पैरा 2.3 (घ) में दिये गए अनुसार बैंकों को जोखिम आधारित दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए कारगर ढंग से इन जोखिमों का प्रबंधन करने तथा उन्हें कम करने के लिए नीतियां बनानी चाहिए।

ख) 'अपने ग्राहक को जानिए' नीतियों तथा क्रियाविधियों के मूल्यांकन तथा उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने में बैंक की आंतरिक लेखा-परीक्षा तथा अनुपालन संबंधी गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामान्य नियमानुसार, अनुपालन कार्य में बैंक की अपनी नीतियों तथा क्रियाविधियों का, जिनमें विधिक तथा विनियामक अपेक्षाएं शामिल हैं, स्वतंत्र मूल्यांकन निहित होना चाहिए। बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी लेखा-परीक्षा व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति कार्यरत हैं जो ऐसी नीतियों तथा क्रियाविधियों से भली-भाँति परिचित हैं। समवर्ती /आंतरिक लेखा-परीक्षकों को विशेष रूप से शाखाओं में 'अपने ग्राहक को जानिए' क्रियाविधियों की जांच करनी चाहिए तथा उन्हें लागू किये जाने को सत्यापित करना चाहिए तथा इस संबंध में पायी गयी कमियों पर टिप्पणी देनी चाहिए। संबंधित अनुपालन रिपोर्ट को बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष तिमाही अंतरालों पर प्रस्तुत किया जाए ।

2.13 **नयी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग - क्रेडिट कार्ड /डेबिट कार्ड /स्मार्ट कार्ड /गिफ्ट कार्ड**

बैंकों को नयी अथवा विकासशील प्रौद्योगिकियों जिनमें इंटरनेट बैंकिंग शामिल है, जिसके कारण धन के स्रोत का पता नहीं चलता, इनसे उभरने वाले धन शोधन से संबंधित जोखिमों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो धन शोधन योजनाओं में उनके उपयोग को रोकने के उपाय करने चाहिए । अधिकांश बैंक विभिन्न प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने के व्यवसाय में लगे हैं । ग्राहक इन कार्डों का माल तथा सेवाएं खरीदने, ए टी एम में से नकद आहरित करने के लिए प्रयोग करते हैं, साथ ही निधियों के इलैक्ट्रॉनिक अंतरण के लिए भी इनका उपयोग हो सकता है । बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अतिरिक्त / पूरक कार्डधारकों के मामले में भी "अपने ग्राहक को जानिए"/ धन शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध संबंधी समय-समय पर जारी सभी दिशानिर्देशों का पूरा अनुपालन किया जाता है। इसके अलावा , सामान्यत: एजेंट की सेवाओं के माध्यम से क्रेडिट कार्डों की मार्केटिंग की जाती है। बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहकों को

कार्ड जारी करने से पूर्व 'अपने ग्राहक को जानिए' क्रियाविधियों को उचित रूप में लागू किया जाता है । यह भी वांछनीय है कि एजेंट पर भी 'अपने ग्राहक को जानिए' उपाय लागू किये जाते हैं ।

2.14 **आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध**

क) धनशोधन निवारण अधिनियम के नियमों के अनुसार संदेहास्पद लेनदेन में अन्य लेनदेन के साथ-साथ वे लेनदेन होने चाहिए जो इस बात का संदेह करने के लिए उचित आधार देते हैं कि ये आतंकवाद से संबंधित कार्यों के वित्तपोषण से संबंधित हैं। अत: बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे उचित नीतिगत ढांचे के माध्यम से आंतकवादी संबंध होने की आशंका वाले खातों की अधिक निगरानी के लिए तथा ऐसे लेनदेन को तुरंत पहचानकर प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय आसूचना यूनिट-भारत (एफआइयू -आइएनडी) को रिपोर्ट करने के लिए समुचित प्रणाली विकसित करें।

ख) संयूक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विभिन्न संकल्पों (यूएनएससीआर) के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा परिषद समिति द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची भारत सरकार से प्राप्त होने पर रिज़र्व बैंक उसे सभी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में परिचालित करता है। बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित सूची के अनुसार व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूचियों को अद्यतन करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संकल्प 1988 (2011) तथा 1989 (2011) स्वीकार कर लिया है जिनके परिणामस्वरूप 1267 समिति की समेकित सूची अलग-अलग दो सूचियों में विभाजित हो गई है नामतः

(i) **"अल-कायदा प्रतिबंध सूची"** जो 1267/1989 समिति द्वारा तैयार की जाती है । इस सूची में केवल अल-कायदा से संबद्ध व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों तथा संगठनों के नाम शामिल किए जाएंगे । अल-कायदा प्रतिबंधों की अद्यतन सूची http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions list.shtml पर उपलब्ध है ।

(ii) **"1988 प्रतिबंध सूची"** जो 1988 समिति द्वारा तैयार की जाती है । इस सूची में समेकित सूची के खंड क (तालिबान से संबद्ध व्यक्ति") तथा खंड ख ("तालिबान से संबद्ध संगठन तथा अन्य समूह एवं उपक्रम") में पूर्व में शामिल किए गए नामों को शामिल किया गया है । अद्यतन 1988 प्रतिबंध सूची http://www.un.org/sc/committees/1988/list.shtml. पर उपलब्ध है ।

यह नोट किया जाए कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51-ए के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए "अल-कायदा प्रतिबंध सूची" तथा "1988 प्रतिबंध सूची" दोनों पर विचार किया जाना है ।

बैंकों को सूचित किया जाता है कि कोई भी नया खाता खोलने से पहले वे सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम/के नाम सूचियों में शामिल नहीं हैं। इसके साथ ही, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि कोई भी खाता सूची में शामिल व्यक्तियों अथवा संस्थाओं का नहीं है अथवा उनसे संबंधित नहीं है। सूची में शामिल किसी भी व्यक्ति /संस्था से किसी भी प्रकार की समानता होने वाले खातों के संपूर्ण ब्यौरे भारतीय रिज़र्व बैंक तथा एफआइयू-आइएनडी को तत्काल सूचित किए जाने चाहिए।

2.15 विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अंतर्गत आस्तियों पर रोक लगाना

i) **विधिविरुद्ध क्रियाकलाप** (निवारण) अधिनियम 1967 (यूएपीए) को **विधिविरुद्ध क्रियाकलाप** (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2008 द्वारा संशोधित किया गया है। सरकार ने 27 अगस्त 2009 को एक आदेश जारी किया है जिसमें आतंकवादी गतिविधियों के निवारण तथा उनका प्रतिरोध करने के लिए **विधिविरुद्ध क्रियाकलाप** (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क को लागू करने की प्रक्रिया के ब्यौरे दिये गये हैं। धारा 51क के अनुसार उपर्युक्त आदेश की अनुसूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों या संस्थाओं अथवा आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न अथवा संदिग्ध रूप से संलग्न किसी अन्य व्यक्ति की ओर से या उनके कहने पर रखी गयी निधियों और अन्य वित्तीय आस्तियों पर रोक लगाने, जब्ती या कुर्की करने के लिए तथा आदेश की अनुसूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों या संस्थाओं अथवा आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न या संदिग्ध रूप से संलग्न किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए कोई निधि, वित्तीय आस्ति या आर्थिक संसाधन या उससे जुड़ी सेवाएँ उपलब्ध कराने से किसी व्यक्ति या संस्था को प्रतिबंधित करने के लिए केन्द्र सरकार को शक्ति प्रदान की गयी है।

ii) **बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश (अनुबंध III) में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करें तथा सरकार के आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें।**

iii) भारतीय रिज़र्व बैंक से ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची(जिन्हें निर्दिष्ट सूचियाँ कहा गया है), जिन पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लागू हैं, प्राप्त होने पर उन्हें यूएनएससीआर की सूची में शामिल निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं की वित्तीय आस्तियों पर, खासकर बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय सेवाओं या आर्थिक संसाधनों या आर्थिक सेवाओं पर रोक लगाने/रोक हटाने के संबंध में

यूएपीए की धारा 51क के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का अविलंब प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।

iv) उक्त आदेश के पैरा 4 के अनुसार **बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं** के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों को निर्दिष्ट सूचियाँ भेजेगा और उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे -

(क) अद्यतन निर्दिष्ट सूचियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखें तथा निश्चित मानदंडों के आधार पर नियमित रूप से इसकी जांच करें कि क्या आदेश की अनुसूची में सूचीबद्ध व्यक्ति अथवा संस्थाएँ (जिन्हें निर्दिष्ट व्यक्ति/संस्थाएँ कहा गया है) उनके पास बैंक खातों के रूप में कोई निधि, वित्तीय आस्तियां या आर्थिक संसाधन या उससे जुड़ी सेवाएं रख रही हैं ।

(ख) यदि किसी ग्राहक के ब्यौरे निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं के ब्यौरे से मिलते हों, तो बैंकों को चाहिए कि वे ऐसे ग्राहक का पता चलने के तुरंत बाद 24 घंटे के भीतर संयुक्त सचिव (आंतरिक सुरक्षा-I), गृह मंत्रालय को अपनी बहियों में ऐसे ग्राहक द्वारा रखे गये बैंक खाते के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों या आर्थिक सेवाओं के पूरे ब्यौरे फैक्स सं. 011-23092569 पर भेज दें । साथ ही, इसकी जानकारी टेलीफोन सं. 011-23092736 पर भी दें । ब्यौरे डाक से भेजने के अलावा अनिवार्य रूप से ई-मेल : jsis@nic.in. पर भेजे जाएं ।

(ग) बैंक ऊपर (ख) में उल्लिखित सूचना की एक प्रतिलिपि भारतीय रिज़र्व बैंक के यूएपीए नोडल अधिकारी, मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, धन शोधन निवारण प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय भवन, 13वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुम्बई-400001 को डाक से और फैक्स सं. 022-22701239 पर भेजेंगे। ब्यौरे डाक/फैक्स से भेजने के अलावा अनिवार्य रूप से ई-मेल पर भेजें जाएं ।

(घ) बैंक ऊपर (ख) में उल्लिखित सचना की एक प्रतिलिपि वित्तीय आसूचना एकक -भारत तथा उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र के यूएपीए नोडल अधिकारी को भी भेजेंगे, जहां खाता रखा गया है ।

(ङ) यदि निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं के ब्यौरे से ग्राहक के ब्यौरे पूरी तरह मिलते हों और उसमें संदेह की कोई गुंजाइश न हो तो बैंक निर्दिष्ट व्यक्तियों को वित्तीय लेनदेन नहीं करने देंगे तथा इसकी सूचना संयुक्त सचिव (आंतरिक सुरक्षा -I), गृह मंत्रालय को फैक्स सं. 011-

23092569 पर तथा टेलीफोन सं. 011-23092736 पर देंगे । ब्यौरे डाक से भेजने के अलावा अनिवार्य रूप से ई-मेल : jsis@nic.in. पर भेजे जाएं ।

(च) बैंक उपर्युक्त पैराग्राफ (ख) के अंतर्गत शामिल खातों में किए गए अथवा करने का प्रयास किए गए सभी लेनदेनों की संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) भी निर्धारित प्रारूप में वित्तीय आसूचना एकक-भारत को प्रस्तुत करेंगे।

v) वित्तीय आस्तियों पर रोक लगाना

क) उपर्युक्त पैराग्राफ iv(ख) में उल्लिखित विवरण प्राप्त होने के बाद गृह मंत्रालय का आंतरिक सुरक्षा -I प्रभाग राज्य पुलिस तथा/अथवा केंद्रीय एजेंसियों द्वारा सत्यापन करवाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकों द्वारा पहचान किए गए व्यक्ति/ संस्थाएं वही हैं जो निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं के रूप में सचीबद्ध हैं और बैंकों ने जिन निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं के बारे में जानकारी दी है वे इन्हीं निर्दिष्ट व्यक्तियों /संस्थाओं द्वारा धारित की गई हैं। यह सत्यापन ऐसे विवरण प्राप्त होने की तारीख से 5 कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा।

ख) यदि सत्यापन से यह पता चलता है कि सम्पत्ति पर निर्दिष्ट व्यक्तियों/ संस्थाओं का स्वामित्व है या उनके लाभ के लिए रखी गयी है तो ऐसे सत्यापन के 24 घंटे के भीतर यूएपीए की धारा 51क के अंतर्गत इन आस्तियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया जाएगा और भारतीय रिज़र्व बैंक और एफआइयू- आइएनडी को अवगत कराते हुए बैंक की संबंधित शाखा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना भेजी जाएगी।

ग) निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं को पूर्व सूचना दिये बिना आदेश जारी होगा।

vi) वर्ष 2001 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1373 के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त अनुरोधों का कार्यान्वयन

क) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1373 के अनुसार देशों के लिए यह बाध्यकारी है कि वे आतंकवादी कृत्य करनेवाले, करने का प्रयास करनेवाले अथवा आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने में शामिल या सहायता पहुंचाने वाले व्यक्तियों; ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संचालित संस्थाओं; तथा ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की ओर से या उनके इशारे पर काम करनेवाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं की निधियों अथवा अन्य आस्तियों पर रोक लगाएं । इनमें ऐसे व्यक्तियों तथा उनसे

जुड़े व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वाधिकृत या नियंत्रित संपत्ति से उपार्जित अथवा सृजित निधियां एवं अन्य आस्तियां भी शामिल हैं ।

ख) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1373 के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए विदेश मंत्रालय विदेशों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच-पड़ताल करेगा और अपनी टिप्पणी के साथ निधियों अथवा अन्य आस्तियों पर रोक लगाने के लिए उन्हें आंतरिक सुरक्षा - I प्रभाग के यूएपीए नोडल अधिकारी को इलेट्रॉनिक रूप से भेजेगा ।

ग) गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा - I प्रभाग के यूएपीए नोडल अधिकारी पांच कार्य दिवसों के भीतर अनुरोध की जाँच करवाएगा ताकि वह संतुष्ट हो सके कि प्रयोज्य कानूनी सिद्धांतों के आधार पर अनुरोध में यह संदेह करने अथवा विश्वास करने के औचित्यपूर्ण कारण अथवा औचित्यपूर्ण आधार हैं कि प्रस्तावित निर्दिष्ट व्यक्ति/संस्था आतंकवादी है, जो आतंकवाद अथवा किसी आतंकवादी संगठन का वित्तपोषण करता है तथा स्वयं संतुष्ट हो जाने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक के नोडल अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे अनुरोध को अग्रेषित करेगा । प्रस्तावित निर्दिष्ट व्यक्ति/संस्था को, जैसा कि ऊपर वर्णित है, निर्दिष्ट व्यक्ति/संस्था माना जाएगा ।

घ) आंतरिक सुरक्षा - I प्रभाग के यूएपीए नोडल अधिकारी से अनुरोध प्राप्त होने के बाद बैंकों को सूची भेजी जाएगी तथा पैराग्राफ 2.15 [(iii), (iv) तथा (v)] के अंतर्गत वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा ।

ङ) रोक लगाने के आदेश संबंधित निर्दिष्ट व्यक्तियों को पूर्व सूचना दिये बिना जारी होंगे।

vii) **सत्यापन के बाद यह पता चलने पर कि संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा संस्था नहीं है, निधियों पर रोक लगाने से गलती से प्रभावित हुए व्यक्तियों/संस्थाओं की निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं पर से रोक हटाने की प्रक्रिया ।**

ऐसा कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था जिसके पास इस बात का साक्ष्य हो कि उसके द्वारा धारित/ स्वाधिकृत निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं पर गलती से रोक लगाई गई है, संबंधित बैंक को अपेक्षित साक्ष्य लिखित रूप में देते हुए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। बैंक किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की सूचना और उसकी एक

प्रति रोकी गई आस्ति के पूरे ब्यौरे सहित उपर्युक्त पैराग्राफ iv (ख) में दिए गए संपर्क सूत्र के अनुसार गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा -I प्रभाग के नोडल अधिकारी को दो कार्य दिवस के भीतर ही अग्रेषित करेंगे जिसके अंतर्गत संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा यह सूचना दी गई हो कि उसकी निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा वित्तीय संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं पर गलती से रोक लगाई गई है । संयुक्त सचिव (आंतरिक सुरक्षा - I), गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग का नोडल अधिकारी होने के नाते व्यक्ति/संस्था द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यदि ज़रूरी हुआ तो इस प्रकार का सत्यापन करवाएगा और संतुष्ट होने पर 15 कार्य दिवसों के भीतर ऐसे आवेदक द्वारा स्वाधिकृत/धारित निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं पर से रोक हटाने के आदेश जारी करेगा और उसकी सूचना संबंधित बैंक को देगा । तथापि, यदि 15 कार्य दिवसों के भीतर आस्तियों पर से रोक हटाने के लिए किसी कारणवश आदेश जारी करना संभव न हो तो उसकी सूचना आंतरिक सुरक्षा-I का नोडल अधिकारी आवेदक को देगा ।

viii) **विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 51क के अंतर्गत आदेशों की सूचना**
विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 51क के अंतर्गत निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं से संबंधित सभी आदेश भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से सभी बैंकों को भेजे जाएंगे ।

2.16 वित्तीय कार्रवाई दल (एफएटीएफ) की सिफारिशों को लागू नहीं करने वाले अथवा अपर्याप्त रूप से लागू करने वाले देश

क) बैंकों को चाहिए कि वे एफएटीएफ वक्तव्य में शामिल किए गए क्षेत्रों में धनशोधन निवारण /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध संबंधी मानदंडों में कमियों के कारण होने वाले जोखिम को ध्यान में रखें । एफएटीएफ सिफारिशों को लागू न करने वाले अथवा अपर्याप्त रुप से लागू करने वाले देशों की पहचान करने के लिए बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर परिचालित किए जाने वाले एफएटीएफ वक्तव्यों (1 जुलाई 2012 की स्थिति के अनुसार इस विषय पर हमारा नवीनतम परिपत्र 14 मार्च 2012 का बैंपविवि.एएमएल.सं.13738 /14.01.001/2011-12 है) के साथ-साथ सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध सूचना / जानकारी पर भी विचार करना चाहिए । यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंकों को एफएटीएफ सिफारिशों को लागू न करने वाले अथवा अपर्याप्त रूप से लागू करने वाले देशों तथा एफएटीएफ वक्तव्यों में शामिल किए गए क्षेत्रों की हस्तियों (विधिक हस्तियों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं सहित) के साथ कारोबारी संबंधों तथा लेनदेन पर विशेष ध्यान भी देना चाहिए।

ख) बैंकों को एफएटीएफ वक्तव्यों में शामिल किए गए क्षेत्रों तथा एफएटीएफ की सिफारिशों को लागू न करने वाले अथवा अपर्याप्त रुप से लागू करने वाले देशों की हस्तियों (विधिक हस्ति तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं सहित) के साथ लेनदेन की पृष्ठभूमि तथा प्रयोजन की जांच करनी चाहिए । साथ ही, यदि लेनदेन का कोई प्रकट आर्थिक अथवा विधिक प्रयोजन नहीं है तो ऐसे लेनदेन की पृष्ठभूमि तथा प्रयोजन की जहां तक संभव हो, जांच की जानी चाहिए तथा इसके निष्कर्ष को लिखित रूप में सभी दस्तावजों सहित रखा जाए और अनुरोध प्राप्त होने पर उन्हें रिज़र्व बैंक/अन्य संबंधित प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जाए ।

2.17 संपर्ककर्ता बैंकिंग (कॉरेस्पांडेंट बैंकिंग)

क) संपर्ककर्ता बैंकिंग में एक बैंक (संपर्ककर्ता बैंक) से दूसरे बैंक (रिस्पॉन्डेंट बैंक) में बैंकिंग सेवा का प्रावधान रहता है । इन सेवाओं में नकद /निधियो का प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय तार अंतरण, मांग ड्राफ्ट आहरण और डाक अंतरण व्यवस्था, खातो के जरिए देय व्यवस्था, चेक समाशोधन आदि का समावेश रहता है। संपर्ककर्ता बैंक /रिस्पॉन्डेंट बैंक के कामकाज का स्वरूप पूर्णत: समझने के लिए बैंकों को पर्याप्त जानकारी प्राप्त करनी चाहिए । दूसरे बैंक का प्रबंधन, प्रमुख कारोबारी गतिविधियाँ, एएमएल /सीएफटी अनुपालन का स्तर, खाता खोलने का उद्देश्य किसी तीसरे व्यक्ति की पहचान जो संपर्ककर्ता बैंकिंग का उपयोग करेगा और संपर्ककर्ता /रिस्पॉन्डेंट के देश में विनियामक /पर्यवेक्षण ढाँचे के संबंध में जानकारी विशेष रूप से संगत हो सकती है। इसी प्रकार, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के जरिए यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या दूसरे बैंक पर धन शोधन या आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन देने के संबंध में किसी प्रकार की जांच या विनियामक कार्रवाई की जा रही है। यह वांछनीय होगा कि ऐसे संबंध केवल बोर्ड के अनुमोदन से ही स्थापित किए जाएं, तथापि यदि किसी बैंक का बोर्ड किसी प्रशासनिक प्राधिकारी को शक्ति प्रत्यायोजित करना चाहें तो वे ऐसे संबंध अनुमोदित करने के लिए स्पष्ट मानदंडों को निर्धारित करते हुए, बैंकों के अध्यक्ष /सीइओं के नेतृत्व वाली समिति को प्रत्यायोजित कर सकते हैं। समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को अनिवार्यत: बोर्ड के कार्योत्तर अनुमोदन हेतु अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रत्येक बैंक की जिम्मेदारियों को जिनके साथ संपर्ककर्ता बैंकिंग संबंध स्थापित किये गये है स्पष्ट रूप में प्रलेखित किया जाना चाहिए । खाते के जरिए देय मामलों में संपर्ककर्ता बैंक को सुनिश्चित करना चाहिए कि रिस्पॉन्डेंट बैंक ने उन ग्राहकों की पहचान का सत्यापन कर लिया है जिनकी खातों में सीधी पहुँच है और उनके संबंध में निरंतर 'उचित सावधानी' बरती जा रही है । संपर्ककर्ता बैंक को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि रिस्पॉन्डेंट बैंक ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी अनुरोध करने पर तुरंत देने में सक्षम हैं ।

ख) शेल बैंक के साथ संपर्ककर्ता संबंध

किसी ''शेल बैंक'' (अर्थात् ऐसा बैंक जो किसी देश में निगमित है जहां उसका अपना अस्तित्व नहीं है और वह किसी विनियमित वित्तीय समूह से संबंधित नहीं है) के साथ संपर्ककर्ता संबंध स्थापित करने से बैंक को इन्कार करना चाहिए । शेल बैंकों को भारत में कार्य करने की अनुमति नहीं है । बैंकों को उन रिस्पॉन्डेंट विदेशी वित्तीय संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित करते समय सतर्क रहना चाहिए जो उनके खातों का उपयोग करने की अनुमति शेल बैंकों को देते हैं। बैंकों उन रिस्पॉन्डेंट बैंकों के साथ संबंध बनाए रखने में अत्यंत सतर्कता बरतनी चाहिए जो ऐसे देशों में स्थित हैं जहां 'अपने ग्राहक को जानिए' मानक कमजोर हैं और ऐसे देश जिन्हें धन शोधन और आंतकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के विरुद्ध संघर्ष में 'असहयोगी' के रूप में जाना गया है। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके रिस्पॉन्डेंट बैंकों के पास धन शोधन निवारण नीति और क्रियाविधि है और वे संपर्ककर्ता खातों के जरिए किए गए लेनेदेनों के संबंध में निरंतर 'उचित सावधानी' क्रियाविधि लागू करते है ।

2.18 **भारत के बाहर की शाखाओं और सहायक कंपनियों पर प्रयोज्यता**

इस मास्टर परिपत्र में निहित दिशा-निर्देश विदेशों में, विशेषत: उन देशों में स्थित शाखाओं तथा अधिकांशत: स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों पर स्थानीय कानूनों की अनुमति की सीमा तक लागू होंगे जो देश वित्तीय कार्रवाई कार्यदल की सिफारिशों को लागू नहीं करते अथवा अपर्याप्त रूप से लागू करते हैं। जब स्थानीय प्रयोज्य कानून तथा विनियम इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर प्रतिबंध लगाते हों, तब रिज़र्व बैंक को उसकी सूचना दी जानी चाहिए । रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 'अपने ग्राहक को जानिए'/धनशोधन निवारण मानकों तथा मेज़बान देश के विनियामकों द्वारा निर्धारित मानकों के बीच कोई अंतर होने के मामले में बैंकों की शाखाओं /विदेशी सहायक कंपनियों को दोनों में से अधिक सख्त विनियम को अपनाना होगा।

2.19 **तार अंतरण**

बैंक खातों के बीच निधियों के शीघ्र अंतरण की प्रणाली के रूप में बैंक तार अंतरणों (वायर ट्रांस्फर) का उपयोग करते हैं । तार अंतरण में एक देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर होनेवाले अथवा एक देश से दूसरे देश को किये जानेवाले लेनदेन शामिल हैं । चूंकि तार अंतरणों में मुद्रा की वास्तविक आवाजाही शामिल नहीं है, अत: वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल्य अंतरण के लिए त्वरित और सुरक्षित प्रणाली समझे जाते हैं ।

i) तार अंतरण लेनदेन की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:

क) तार अंतरण एक ऐसा लेनदेन है जिसके द्वारा प्रवर्तक व्यक्ति (नैसर्गिक और कानूनी दोनों) की ओर से बैंक के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से धन राशि किसी बैंक के किसी लाभार्थी को उपलब्ध करायी जाती है। प्रवर्तक और लाभार्थी एक ही व्यक्ति हो सकता है।

ख) सीमा पार अंतरण का अर्थ है ऐसा तार अंतरण जहां प्रवर्तक और लाभार्थी बैंक या वित्तीय संस्था भिन्न देशों में स्थित है। इसमें तार अंतरणों की ऐसी श्रृंखला शामिल हो सकती है जिसमें कम-से-कम एक सीमा पार अंतरण किया गया हो।

ग) देशी तार अंतरण का अर्थ है ऐसा तार अंतरण जहां प्रवर्तक और प्राप्तकर्ता एक ही देश में स्थित हैं। इसमें तार अंतरणों की ऐसी श्रृंखला भी शामिल हो सकती है जो पूरी तरह एक ही देश की सीमाओं के भीतर होते हों भले ही तार अंतरण करने के लिए प्रयुक्त प्रणाली किसी दूसरे देश में स्थित हो।

घ) प्रवर्तक खाता धारक या जहां कोई खाता नहीं है वहां ऐसा व्यक्ति (नैसर्गिक और कानूनी) होता है जो बैंक को तार अंतरण करने का आदेश देता है।

ii) तार अंतरण दुनिया भर में निधियों के अंतरण के लिए तात्कालिक और पसंद किया जानेवाला माध्यम है और इसलिए इस बात की ज़रूरत है कि आतंकवादियों और अन्य अपराधियों की अपनी निधियों को लाने-ले जाने के लिए तार अंतरणों तक मुक्त पहुंच को रोका जाए तथा जब भी इसका दुरुपयोग होता है तो उसका पता लगाया जाए। ऐसा तभी किया जा सकता है यदि तार अंतरणों के प्रवर्तक के संबंध में बुनियादी जानकारी उपयुक्त कानून प्रवर्तन तथा/या अभियोजनकर्ता प्राधिकारियों को तुरंत उपलब्ध करायी जाए ताकि आतंकवादियों या अन्य अपराधियों का पता लगाने, जांच-पड़ताल करने, मुकदमा चलाने में उन्हें सहायता दी जा सके और उनकी परिसंपत्तियों का पता लगाया जा सके। उक्त सूचना का उपयोग फाइनेंशल इंटेलिजेंस यूनिट - इंडिया (एफआइयू-आइएनडी) द्वारा संदिग्ध या असामान्य गतिविधि का विश्लेषण करने और आवश्यकता होने पर उसे प्रचारित करने के लिए किया जा सकता है। लाभार्थी बैंक द्वारा प्रवर्तक संबंधी सूचना का उपयोग संदिग्ध लेनदेनों की पहचान करने तथा उसकी सूचना एफआइयू-आइएनडी को देने के लिए किया जा सकता है। छोटे तार अंतरणों द्वारा संभावित आतंकवादी वित्तपोषण के खतरे को देखते हुए उद्देश्य यह है कि न्यूनतम प्रारंभिक सीमाओं के सभी तार अंतरणों का पता लगाने की स्थिति में रहा जाए। तदनुसार, हम यह सूचित करते हैं कि बैंक यह सुनिश्चित करें कि सभी तार अंतरणों के साथ निम्नलिखित सूचना हो :

(क) सीमा पार तार अंतरण

i) सभी सीमा पार (क्रॉस बॉर्डर) तार अंतरणों के साथ सटीक और सार्थक प्रवर्तक संबंधी सूचना हो ।

ii) सीमा पार तार अंतरणों के साथ दी जानेवाली सूचना में प्रवर्तक का नाम और पता तथा जहां कहीं खाता हो, उस खाते का नंबर दिया जाना चाहिए । खाता न होने की स्थिति में एक विशिष्ट संदर्भ संख्या अवश्य दी जानी चाहिए जो संबंधित देश में प्रचलित हो ।

iii) जहां किसी एकल प्रवर्तक से कई अलग-अलग अंतरण एक बैच फाइल में इकट्ठे कर दूसरे देश में लाभार्थियों को प्रेषित किये जाते हैं, वहां उन्हें पूर्ण प्रवर्तक संबंधी सूचना शामिल करने से छूट दी जा सकती है, बशर्ते उनमें उक्त (ii) के अनुसार प्रवर्तक की खाता संख्या या विशिष्ट संदर्भ संख्या शामिल हो ।

(ख) देशी तार अंतरण

i) रु. 50,000/- (पचास हज़ार रुपये) और उससे अधिक के सभी देशी तार अंतरणों के साथ दी जानेवाली सूचना में प्रवर्तक संबंधी पूर्ण सूचना अर्थात् नाम, पता और खाता संख्या आदि शामिल की जानी चाहिए, केवल उन स्थितियों को छोड़कर जब लाभार्थी बैंक को अन्य माध्यमों से प्रवर्तक संबंधी पूर्ण सूचना उपलब्ध करायी जा सकती हो ।

ii) यदि किसी बैंक के पास यह मानने का कोई कारण हो कि ग्राहक जानबूझकर सूचना देने या निगरानी से बचने के उद्देश्य से रु. 50,000/- (पचास हज़ार रुपये) से कम के विभिन्न लाभार्थियों को वायर अंतरण कर रहा है तो बैंक को उक्त अंतरण करने के पहले ग्राहक की पूरी पहचान पर अवश्य जोर देना चाहिए। ग्राहक द्वारा सहयोग न किये जाने के मामले में उसकी पहचान का पता लगाना चाहिए तथा एफआइयू - आइएनडी को संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) दी जानी चाहिए ।

iii) जब धन के अंतरण के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है तब संदेश में उक्त (i) के अनुसार आवश्यक सूचना शामिल की जानी चाहिए ।

(iii) छूट

जहां प्रवर्तक और लाभार्थी दोनों बैंक या वित्तीय संस्थाएं हों वहां अंतर बैंक अंतरणों और निपटानों को उपर्युक्त अपेक्षाओं से छूट होगी ।

(iv) आदेशकर्ता, मध्यवर्ती और लाभार्थी बैंकों की भूमिका

(क) आदेशकर्ता बैंक

आदेशकर्ता बैंक वह है जो अपने ग्राहक द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार तार अंतरण का प्रवर्तन करता है । आदेशकर्ता बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित वायर अतरणों में प्रवर्तक संबंधी पूर्ण सूचना हो। बैंक को भी सूचना का सत्यापन करना चाहिए तथा उसे कम-से-कम 10 वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित रखना चाहिए ।

(ख) मध्यवर्ती बैंक

सीमा पार तथा देशी वायर अंतरणों दोनों के लिए तार अंतरणों की श्रृंखला के मध्यवर्ती तत्व की प्रोसेसिंग करनेवाले बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तार अंतरण के साथ दी गयी समस्त प्रवर्तक सूचना अंतरण के साथ बनाये रखी जाती है । जहां तकनीकी सीमाओं के कारण सीमा पार के तार अंतरण के साथ दी गयी पूर्ण प्रवर्तक सूचना संबंधित देशी तार अंतरण के साथ बनायी रखी नहीं जा सकती, वहां प्रवर्तक बैंक से प्राप्त सभी सूचना का प्राप्तकर्ता मध्यवर्ती बैंक द्वारा कम-से-कम 10 वर्ष (जैसा कि धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अपेक्षित है) के लिए रिकार्ड रखा जाना चाहिए ।

(ग) लाभार्थी बैंक

लाभार्थी बैंक में कारगर जोखिम आधारित क्रियाविधियां होनी चाहिए जिनसे पूर्ण प्रवर्तक सूचना रहित तार अंतरणों का पता लगाया जा सके । पूर्ण प्रवर्तक सूचना के अभाव को कोई वायर अंतरण या संबंधित लेनदेन संदिग्ध है या नहीं तथा उसकी सूचना फाइनेंशल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को दी जानी चाहिए या नहीं इसका निर्धारण करने के तत्व के रूप में समझा जाना चाहिए । यदि लेनदेन के साथ निधियों के प्रेषक की विस्तृत सूचना नहीं दी गयी है तो लाभार्थी बैंक को आदेशकर्ता बैंक के साथ भी मामले को उठाना चाहिए । यदि आदेशकर्ता बैंक प्रेषक के संबंध में सूचना नहीं देता तो लाभार्थी

बैंक को चाहिए कि वह आदेशकर्ता बैंक के साथ अपने कारोबारी संबंध को सीमित या समाप्त कर देने तक पर विचार करे ।

2.20 प्रधान अधिकारी

क) बैंक किसी वरिष्ठ प्रबंधन अधिकरी को प्रधान अधिकारी के रूप में पदनामित करने के लिए नियुक्त करें । प्रधान अधिकारी बैंक के मुख्य / कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थित होगा तथा उस पर सभी लेन-देनों की निगरानी तथा रिपोटिऱ्गं तथा कानून के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी के अदान-प्रदान का दायित्व होगा। इस अधिकारी को प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों तथा किसी अन्य संस्था, जो कि धन शोधन तथा आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध संघर्ष में शामिल है, के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना होगा ।

ख) प्रधान अधिकारी की भूमिका तथा दायित्वों में अपने ग्राहक को जानिए/धनशोधन निवारण/आंतकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध पर समय-समय पर जारी विनियामक दिशानिर्देशों तथा धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए तथा समय-समय पर संशोधित नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत दायित्वों का पर्यवेक्षण तथा उनका समग्र अनुपालन सुनिश्चित करना शामिल होना चाहिए । एफआइयू - आइएनडी को समय पर सीटीआर, एसटीआर रिपोर्टें तथा जाली नोटों और गैर-लाभकारी संगठनों के दस लाख रुपये अथवा विदेशी मुद्रा में उसकी समतुल्य राशि से अधिक मूल्य की प्राप्तियों वाले सभी लेनदेन की सूचना प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व भी प्रधान अधिकारी का होगा ।

ग) प्रधान अधिकारी तथा अन्य उचित स्टाफ को ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी तथा ग्राहक के संबंध में उचित सावधानी बरतने संबंधी अन्य जानकारी ,लेनदेन संबंधी रिकार्ड और अन्य संबंधित जानकारी समय पर मिलनी चाहिए ताकि प्रधान अधिकारी अपने उत्तरदायित्व को कारगरता से निभा सके ।

2.21 लेनदेनों के रिकार्डों का रखरखाव/ परिरक्षण की जानेवाली सूचना/रिकार्डों का परिरक्षण और रखरखाव/वित्तीय आसूचना इकाई - भारत को नकदी और संदिग्ध लेनदेनों की रिपोर्टिंग

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने भारत के राजपत्र में 1 जुलाई 2005 की अधिसूचना द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत नियमावली को अधिसूचित किया है। इन नियमों के अनुसार धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के उपबंध 1 जुलाई 2005 से प्रभावी हो गये। धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 12 के

अनुसार बैंकिंग कंपनियों पर ग्राहकों के खातों की सूचना के परिरक्षण और रिपोर्टिंग के संबंध में कुछ दायित्व रखे गये हैं। अत: बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के उपबंध पढ़ें तथा उक्त अधिनियम की धारा 12 की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जानेवाले सभी कदम उठाएँ ।

i) लेनदेनों के रिकार्डों का रखरखाव

बैंकों को चाहिए कि वे धनशोधन निवारण नियमावली के नियम 3 के अंतर्गत निर्धारित लेनदेनों का उचित रिकार्ड रखने की प्रणाली शुरू करें जैसा कि नीचे बताया गया है :

क) विदेशी मुद्रा में दस लाख रुपये से अधिक मूल्य वाले अथवा उसके समकक्ष मूल्य के सभी नकद लेनदेन;

ख) समग्र रूप में एक दूसरे से संबद्ध नकद लेनदेनों की सभी शृंखलाएँ जिनका मूल्यांकन विदेशी मुद्रा में दस लाख रुपये से कम अथवा उसके समकक्ष किया गया है जहाँ ऐसे लेनदेन एक महीने के भीतर घटित हुए हैं और ऐसे लेनदेनों का कुल मूल्य दस लाख रुपये से अधिक हो जाता है;

ग) गैर-लाभकारी संगठनों के दस लाख रुपये अथवा विदेशी मुद्रा में उसकी समतुल्य राशि से अधिक मूल्य की प्राप्तियों वाले सभी लेनदेन [संदर्भ: 12 नवंबर 2009 की भारत सरकार की अधिसूचना -धनशोधन निवारण नियमावली के नियम 3, उप-नियम(1)खंड(बीए)]

घ) ऐसे सभी नकद लेनदेन जहाँ नकली और जाली करेंसी नोटों या बैंक नोटों का प्रयोग असली नोटों के रूप में किया गया है तथा जहाँ किसी मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी की गई है;

ङ) सभी संदिग्ध लेनदेन चाहे नकदी में किये गये हैं या नहीं तथा उक्त नियमों के अंतर्गत उल्लिखित रूप में किये गये हैं ।

स्पष्टीकरण - ऊपर (ख)में उल्लिखित आपस में जुड़े नकद लेनदेन

अप्रैल के माह के दौरान किसी शाखा में निम्नलिखित लेनदेन हुए हैं :

तारीख	माध्यम	नामे (रुपये में)	जमा (रुपये में)	आगे लाया गया शेष (रुपये में) 8,00,000.00
02/04/2008	नकद	5,00,000.00	3,00,000.00	6,00,000.00
07/04/2008	नकद	40,000.00	2,00,000.00	7,60,000.00
08/04/2008	नकद	4,70,000.00	1,00,000.00	3,90,000.00
मासिक संकलन		**10,10,000.00**	**6,00,000.00**	

च) उपर्युक्त स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त उदाहरण में जो नामे लेनदेन हैं वे आपस में जुड़े नकद लेनदेन हैं क्योंकि कैलेंडर माह के दौरान कुल नकद नामे लेनदेन 10 लाख रुपये से अधिक हैं। तथापि, बैंक को केवल 02/04 तथा 08/04/2008 को हुए लेनदेन को रिपोर्ट करना चाहिए। 07/04/2008 के नामे लेनदेन को बैंक अलग से रिपोर्ट नहीं करे क्योंकि वह 50,000/- रुपये से कम है।

छ) उपर्युक्त उदाहरण में दिए गए सभी जमा लेनदेनों को आपस में जुड़ा नहीं समझा जाएगा, क्योंकि माह के दौरान जमा लेनदेन का कुल योग दस लाख रुपये से अधिक नहीं है। अत:, 02, 07 तथा 08/04/2008 के जमा लेनदेन बैंकों द्वारा रिपोर्ट नहीं किए जाने चाहिए ।

(ii) परिरक्षण की जानेवाली सूचना

बैंकों से अपेक्षित है कि वे नियम 3 में उल्लिखित लेनदेनों के संबंध में निम्नलिखित सूचना का परिरक्षण करें :

(क) लेनदेनों का स्वरूप;

(ख) लेनदेन की राशि और वह मुद्रा जिसमें उसका मूल्यवर्गीकरण किया गया;

(ग) वह तारीख जब वह लेनदेन संचालित किया गया; तथा

(घ) लेनदेन के पक्षकार ।

iii) रिकार्डों का परिरक्षण और रखरखाव

क) बैंक, लेखों संबंधी सूचना के उचित रखरखाव और परिरक्षण की ऐसी प्रणाली विकसित करें ताकि इससे आवश्यकता पड़ने पर या जब भी सक्षम प्राधिकारियों द्वारा इनके लिए अनुरोध किया जाए तब आसानी से और तुरंत आँकड़े पुन: प्राप्त हो सकें। इसके अलावा बैंक, ग्राहक और बैंक के बीच लेनदेन के बंद होने की तारीख से कम से कम दस वर्षों तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के लेनदेनों के सभी आवश्यक रिकार्डों का अनुरक्षण करें, जिससे अलग-अलग लेनदेनों के पुनर्निर्माण (शामिल राशि तथा यदि कोई विदेशी मुद्रा हो तो उसके प्रकार सहित) में मदद मिलेगी ताकि यदि जरूरत पड़े तो आपराधिक गतिविधियों के अभियेाजन के लिए साक्ष्य प्रदान किया जा सके।

ख) बैंक यह सुनिश्चित करें कि ग्राहक द्वारा खाता खोलते समय तथा कारोबारी संबंध बने रहने के दौरान उसकी पहचान और पते के संबंध में प्राप्त अभिलेख (जैसे पासपोर्टों, पहचान पत्रों, ड्राइविंग लाइसेंसों, पैन, उपभोक्ता बिलों जैसे दस्तावेजों आदि की प्रतिलिपियाँ) कारोबारी संबंध के समाप्त हो जाने के बाद कम से कम दस वर्ष तक उचित रूप में सुरक्षित रखे जाएँ। सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुरोध किए जाने पर पहचान के रिकार्ड और लेनदेन के आँकड़े उन्हें उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

ग) इस मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 2.10 में बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सभी जटिल, असामान्य रूप से बड़े लेनदेन और लेनदेन के ऐसे असामान्य स्वरूप की ओर विशेष ध्यान दें जिनका कोई सुस्पष्ट आर्थिक अथवा विधि सम्मत प्रयोजन न हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जहां तक संभव हो ऐसे लेनदेन से संबंधित सभी दस्तावेज / कार्यालयीन अभिलेख / ज्ञापन सहित उसकी पृष्ठभूमि तथा उसके प्रयोजन की जांच की जाए तथा शाखा तथा प्रधान अधिकारी दोनों स्तर पर प्राप्त निष्कर्षों को उचित रूप से रिकार्ड किया जाए। लेनदेन की संवीक्षा से संबंधित दिन-प्रति-दिन का कार्य करने में लेखा परीक्षकों की सहायता के लिए तथा रिज़र्व बैंक/अन्य संबंधित प्राधिकारियों को भी ऐसे रिकार्ड तथा संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराये जाएँ। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अपेक्षा के अनुसार इन अभिलेखों को दस वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित किया जाना है।

(iv) वित्तीय आसूचना इकाई - भारत को रिपोर्टिंग:

क) यह सूचित किया जाता है कि पीएमएलए नियमों के अनुसार बैंकों से अपेक्षित है कि वे नकदी और संदेहास्पद लेनदेनों तथा गैर लाभकारी संगठनो द्वारा रुपये द्स लाख तथा उस से अधिक या

विदेशी मुद्रा में उसके समतुल्य प्राप्ति के मामलों की सूचना निम्नांकित पते पर निदेशक, वित्तीय आसूचना इकाई -भारत (एफआइयू -आइएनडी) को दें:

निदेशक, एफआइयू - आइएनडी,
फाइनैंशियल इंटेलिजेंस यूनिट - इंडिया,
6ठी मंजिल, होटल सम्राट,
चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली - 110 021
वेबसाइट- http://fiuindia.gov.in/

स्पष्टीकरण - भारत सरकार की 12 नवंबर 2009 की अधिसूचना - नियम 2 के उप-नियम (1) के खण्ड (सीए) में "गैर-लाभकारी संगठन" को परिभाषित किया गया है। गैर-लाभकारी संगठन का अर्थ है कोई भी संस्था या संगठन जो कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम,1860 अथवा किसी समान राज्य कानून के अंतर्गत न्यास अथवा सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है अथवा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी है।

ख) बैंक, सभी रिपोर्टिंग फार्मेटों को ध्यान से पढ़ें। कुल मिलाकर आठ रिपोर्टिंग फार्मेट हैं जिनके ब्योरे अनुबंध 2 में दिये गये हैं,अर्थात् i) नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर); ii) सीटीआर का सारांश ; iii) सीटीआर - इलैक्ट्रॉनिक फाइल संरचना ; iv) संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर); v) एसटीआर - इलैक्ट्रॉनिक फाइल संरचना ; vi) नकली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर) ; vii) सीसीआर का सारांश और viii) सीसीआर - इलैक्ट्रॉनिक फाइल संरचना जो इस मास्टर परिपत्र के साथ संलग्न हैं। रिपोर्ट करने के प्रपत्रों में रिपोर्टों के संकलन तथा एफआइयू आइएनडी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तरीके /प्रक्रिया के विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाने के संबंध में यथाशीघ्र पहल करें । इलेक्ट्रोनिक फॉर्मेट में रिपोर्टें तैयार करने के लिए संबंधित हार्डवेयर और तकनीकी आवश्यकता, संबंधित डाटा फाइलें तथा उनकी डाटा संरचना संबंधित फार्मेटों के अनुदेश वाले भाग में दी गई हैं।

ग) एफआइयू-आइएनडी ने अपनी वेबसाइट पर एडिटेबल इलैक्ट्रॉनिक यूटिलिटिज डाली है ताकि ऐसे बैंक नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) तथा संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल कर सकें जो अपने लेनदेन के सामान्य आँकड़ों से सीटीआर / एसटीआर बनाने के लिऐ उपयुक्त प्रौद्योगिकी साधन स्थापित नहीं कर पाये हैं। अत: यह सूचित किया जाता है कि उन बैंकों के मामले में जहां सभी शाखाएं अभी तक पूर्णत: कंप्यूटरीकृत नहीं हुई हैं, बैंक के प्रधान अधिकारी को

चाहिए कि वे कंप्यूटरीकृत नहीं हुई शाखाओं से लेनदेन के ब्यौरों को छांटकर, उन्हें एफआइयू-आइएनडी द्वारा अपनी वेबसाइट http://fiuindia.gov.in पर उपलब्ध कराई गयी सीटीआर/एसटीआर की एडिटेबल इलैक्ट्रॉनिक यूटिलिटिज की सहायता से एक इलैक्ट्रॉनिक फाइल में डालने की उपयुक्त व्यवस्था करें।

इस मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 2.3(ख) में निहित अनुदेशों के अनुसार बैंकों को जोखिम वर्गीकरण के आधार पर प्रत्येक ग्राहक का एक प्रोफाइल तैयार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पैराग्राफ 2.10 के अनुसार जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। अत:, इस बात को दोहराया जाता है कि लेनदेन निगरानी व्यवस्था के एक भाग के रूप में बैंकों को एक ऐसा उपयुक्त सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन स्थापित करना चाहिए जो ग्राहक के अद्यतन प्रोफाइल तथा जोखिम वर्गीकरण से असंगत लेनदेन होने पर सतर्कता का संकेत दे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सतर्कता के संकेत देनेवाला एक सक्षम सॉफ्टवेयर संदिग्ध लेनदेन की प्रभावी पहचान तथा रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक है।

2.22 **नकदी और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट**

क) नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर)

सम्बन्धित फार्मेट के अनुदेश वाले हिस्से में सभी प्रकार की रिपोर्टें फाइल करने के अनुदेश दिये गये हैं। बैंकों को निम्नलिखित का कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए:

i) प्रत्येक माह की नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) अगले महीने की 15वीं तारीख तक एफआइयू - आइएनडी को प्रस्तुत कर देनी चाहिए। अत: शाखाओं को अपने नियंत्रक कार्यालयों को नकद लेनदेन की सूचना अनिवार्य रूप से मासिक आधार पर (**पखवाड़े के आधार पर नहीं**) भेजनी चाहिए तथा बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक माह नकदी लेनदेन रिपोर्ट एफआइयू-एनडी को निर्धारित समय में भेज दी जाती है ।

ii) जहां जाली अथवा नकली भारतीय मुद्रा नोटों का असली के रूप में उपयोग किया गया हो, वहां ऐसे सभी नकद लेनदेनों की सूचना प्रधान अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट फॉर्मेट (जाली मुद्रा रिपोर्ट- सीसीआर)में एफआइयू-आइएनडी को तत्काल भेजी जानी चाहिए। इन नकद लेनदेनों में ऐसे लेनदेन भी शामिल होने चाहिए जहां मूल्यवान प्रतिभूति अथवा दस्तावेजों की जालसाजी की गई है। यह सूचना एफआइयू-आइएनडी को प्लेन टेक्स्ट में भेजी जानी चाहिए।

iii) सीटीआर फाइल करते समय, पचास हजार रुपये से कम राशि के अलग-अलग लेनदेनों को शामिल न किया जाए।

iv) सीटीआर में केवल वही लेनदेन होने चाहिए जो बैंक ने अपने ग्राहकों की ओर से किए हैं। बैंक के आंतरिक खातों के बीच किए गए लेनदेन इसमें शामिल नहीं होंगे।

v) बैंक के प्रधान अधिकारी द्वारा समग्र रूप में बैंक के समूचे नकदी लेनदेनों की रिपोर्ट का सारांश विनिर्दिष्ट फार्मेट के अनुसार भौतिक रूप में संकलित किया जाना चाहिए। इस संक्षिप्त रिपोर्ट पर प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा एफआइयू-आइएनडी को भेजा जाना चाहिए ।

vi) बैंकों द्वारा कोर बैंकिंग सोल्यूशन वाली शाखाओं के संबंध में केंद्रीय आंकड़ा केंद्र के स्तर पर केंद्रीय रूप से संकलित की जानेवाली नकदी लेनदेन रिपोर्टों के मामले में बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन वाली शाखाओं से संबंधित केंद्रीकृत नकदी लेनदेन रिपोर्ट एक स्थल पर तैयार कर सकते हैं और एफआइयू-आइएनडी को भेज सकते हैं, बशर्ते :

क) नकदी लेनदेन रिपोर्ट इस मास्टर परिपत्र के पैरा 2.21(iv)(ख) में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित फार्मेट में बनायी गयी हो ।

ख) शाखा की ओर से एफआइयू-इंडिया को जो मासिक नकदी लेनदेन रिपोर्ट दी गयी हो, उसकी एक प्रतिलिपि संबंधित शाखा में उपलब्ध रहनी चाहिए ताकि लेखा परीक्षक/निरीक्षकों के मांगने पर उसे प्रस्तुत किया जा सके।

ग) पैरा 2.21(i), (ii) और (iii) में निहित "लेनदेन के रिकार्ड का रख-रखाव" "परिरक्षित की जानेवाली सूचना" तथा "रिकार्डों का रख-रखाव व परिरक्षण" संबंधी अनुदेशों का शाखा द्वारा कड़ाई से पालन किया जाता है ।

तथापि, जो शाखाएं सीबीएस के अंतर्गत नहीं हैं, उनके संबंध में मासिक नकदी लेनदेन रिपोर्ट का संकलन जारी करना चाहिए तथा शाखा द्वारा उसे प्रधान अधिकारी को भेजा जाना चाहिए ताकि वे एफआइयू-आइएनडी को उक्त रिपोर्ट भेज सकें ।

ख) संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर)

i) संदिग्ध लेनदेन का निर्धारण करते समय बैंक समय समय पर संशोधित धन शोधन निवारण नियमावली में निहित 'संदिग्ध लेनदेन' की परिभाषा को ध्यान में रखें ।

ii) यह संभव है कि कुछ मामलों में ग्राहकों को कुछ ब्योरे देने अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर ग्राहक अपने लेनदेन का परित्याग करे अथवा उसे बीच में ही रोक दे। यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंकों को एसटीआर में लेनदेन के ऐसे सभी प्रयासों के संबंध में सूचना देनी चाहिए, भले ही ग्राहकों ने इन लेनदेनों को अधूरा छोड़ दिया हो।

iii) बैंक लेनदेन की राशि पर तथा /अथवा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची के भाग - ख में निरूपित अपराधों के लिए दर्शाई गयी न्यूनतम सीमा पर ध्यान दिए बिना एसटीआर बनाए यदि उनके पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि लेनदेन में सामान्यत: अपराध से प्राप्त राशि सम्मिलित है।

iv) कोई भी लेनदेन चाहे नकदी हो या नकदी से इतर या लेनदेनों की एक श्रृंखला जो समग्रत: आपस में जुडे हों, संदिग्ध स्वरूप के हैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचने के 7 दिनों के भीतर संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) प्रस्तुत कर देनी चाहिए। प्रधान अधिकारी को वे कारण रिकार्ड करने चाहिए जिससे किसी लेनदेन या लेनदेनों की श्रृंखला को संदिग्ग्ध माना गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि एक बार किसी शाखा या अन्य कार्यालय से संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ऐसे किसी निर्णय पर पहुँचने में अनावश्यक देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारियों के अनुरोध पर उन्हें उपलब्ध करायी जाए ।

v) स्टाफ को अपने ग्राहक को जानिए /धन शोधन निवारण के संबंध में जागरूक बनाने के लिए तथा संदिग्ध लेनदेन के लिए सतर्कता संकेत तैयार करने के लिए बैंक 'बैंकों के लिए आइबीए के मार्गदर्शी नोट जनवरी 2012' के अनुबंध (E) में निहित संदिग्ध गतिविधियों की निदर्शी सूची देखें।

vi) बैंक उन खातों पर कोई प्रतिबंध न लगाएं जहां एसटीआर रिपोर्ट भेजी गई है । तथापि यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्राहक को किसी भी स्तर से गुप्त अथवा प्रत्यक्ष रूप से सचेत (टिपिंग ऑफ़) नहीं किया जाए ।

(ग) **गैर लाभकारी संगठन**

प्रत्येक माह गैर-लाभकारी संगठनों के दस लाख रुपये अथवा विदेशी मुद्रा में उसकी समतुल्य राशि से अधिक मूल्य की प्राप्तियों वाले सभी लेनदेन की रिपोर्ट निर्धारित फॉर्मैट अगले महीने की 15वीं तारीख तक निदेशक, एफआइयू - आइएनडी को प्रस्तुत कर देनी चाहिए।

2.23 ग्राहक शिक्षण / कर्मचारियों का प्रशिक्षण / कर्मचारियों की भर्ती

क) ग्राहक शिक्षण

'अपने ग्राहक को जानिए' क्रियाविधि के कार्यान्वयन के संदर्भ में बैंकों के लिए ग्राहकों से कुछ ऐसी जानकारी मांगना आवश्यक होता है जो वैयक्तिक स्वरूप की हो अथवा जिसकी इसके पहले कभी मांग न की गयी हो। इससे कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि ग्राहक ऐसी जानकारी माँगने के उद्देश्य तथा प्रयोजन के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे । अत: ग्राहक को 'अपने ग्राहक को जानिए' कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देने के लिए यह आवश्यक है कि बैंक संबंधित विशिष्ट साहित्य/प्रचार-पुस्तिका आदि तैयार करें। फ्रंट डेस्क स्टाफ को ग्राहकों के साथ बातचीत करते समय ऐसी परिस्थितियों को संभालने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

ख) कर्मचारियों का प्रशिक्षण

बैंकों को लगातार कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने चाहिए ताकि स्टाफ-सदस्य 'अपने ग्राहक को जानिए' क्रियाविधियों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हो सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में फ्रंटलाइन स्टाफ, अनुपालन (कंप्लायंस) स्टाफ तथा नये ग्राहक के साथ व्यवहार करने वाले स्टाफ को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के केंद्र बिंदु अलग-अलग होने चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी संबंधित स्टाफ-सदस्य 'अपने ग्राहक को जानिए' नीतियों के औचित्य को पूरी तरह समझते हैं और उनका निरंतर कार्यान्वयन करते हैं ।

ग) कर्मचारियों की भर्ती

यह ध्यान में रखा जाए कि 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड /धनशोधन निवारण /आतंकवाद वित्तपोषण प्रतिरोध उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किए गए हैं ताकि अपराधी बैंकिंग सरणि का दुरुपयोग न कर सकें। अत: बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे कार्मिकों की युक्ति/ नियोजन की अपनी प्रक्रिया के एक अविभाज्य भाग के रूप में समुचित स्क्रीनिंग प्रणाली स्थापित करें।

****

अनुबंध I

खाते खोलने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की सांकेतिक सूची

पहलू	दस्तावेज
व्यक्तियों के खाते - विधिक नाम और प्रयोग में लाए गए अन्य नाम - सही स्थायी पता	(i) पासपोर्ट (ii) पैन कार्ड (iii) मतदाता पहचान पत्र (iv) ड्राइविंग लाइसेंस (v)* राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी किया गया जॉब कार्ड (vi)यूआईडीएआई द्वारा जारी किया गया पत्र जिसमें नाम, पता तथा आधार संख्या दी गई है (vii) पहचान पत्र (बैंक के संतुष्ट होने की शर्त पर) (viii) बैंक की संतुष्टि के लिए मान्यताप्राप्त सरकारी प्राधिकारी या सरकारी कर्मचारी द्वारा ग्राहक के पहचान तथा निवास को सत्यापित करता हुआ पत्र * (कृपया पैराग्राफ 2.9 भी देखें) (i) टेलीफोन बिल (ii) बैंक खाता विवरण (iii) किसी मान्यताप्राप्त सरकारी प्राधिकारी से पत्र (iv) बिजली का बिल (v) राशन कार्ड (vi) नियोक्ता से पत्र (बैंक के संतुष्ट होने की शर्त पर) (ऐसा कोई भी एक दस्तावेज पर्याप्त है जो बैंक को ग्राहक की जानकारी के संबंध में संतुष्ट करता हो)
कंपनियों के खाते - कंपनी का नाम - कारोबार का प्रमुख स्थान - कंपनी का डाक पता - टेलीफोन/फैक्स संख्या	(i) निगमन और संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम के संबंध में प्रमाणपत्र (ii) खाता खोलने के संबंध में निदेशक बोर्ड का प्रस्ताव और जिन्हें खाता चलाने का अधिकार है उनकी पहचान (iii) उनकी ओर से कारोबार चलाने हेतु अपने प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को प्रदत्त मुख्तारनामा (iv) पैन आबंटन पत्र की प्रतिलिपि (v) टेलीफोन बिल की प्रतिलिपि
भागीदारी फर्म के खाते - विधिक नाम - पता	(i) पंजीकरण प्रमाणपत्र यदि पंजीकृत हो (ii) भागीदारी विलेख (iii) उनकी ओर से कारोबार चलाने हेतु किसी भागीदार या फर्म के कर्मचारी को प्रदत्त मुख्तारनामा

- भागीदारों के नाम और पते - फर्म और भागीदारों के टेलीफोन नंबर	(iv) भागीदारों और मुख्तारनामा धारित व्यक्तियों और उनके पते की पहचान कराता कोई भी अधिकारिक वैध दस्तावेज (v) फर्म/भागीदारों के नाम, टेलीफोन बिल
न्यासों और संस्थानों के खाते - न्यासियों, सेटलर्स हितार्थी और हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम - संस्थापकों, प्रबंधकों/निदेशकों और हितार्थी के नाम और पते - टेलीफोन/फैक्स नंबर	(i) पंजीकरण प्रमाण यदि पंजीकृत हो (ii) उनकी ओर से कारोबार चलाने हेतु प्रदत्त मुख्तारनामा (iii) न्यासियों, सेटलर्स, हितार्थी और मुख्तारनामा धारित व्यक्तियों, संस्थापकों /प्रबंधकों /निदेशकों और उनके पते की पहचान कराता कोई भी आधिकारिक वैध दस्तावेज (iv) फाउंडेशन/ एसोसिएशन के प्रबंधन निकाय का प्रस्ताव (v) टेलीफोन बिल
मालिकाना प्रतिष्ठानों के खाते नाम का प्रमाण, प्रतिष्ठान का पता तथा कार्य	• पंजीकरण प्रमाणपत्र (पंजीकृत प्रतिष्ठान के मामले में), • दुकान और स्थापना अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/लाइसेंस • बिक्री और आयकर रिटर्न • सीएसटी/वीएटी प्रमाणपत्र • बिक्री कर /सेवा कर/व्यावसायिक कर प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र / पंजीकरण दस्तावेज • पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस जैसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, इंडियन मेडिकल कौंसिल, खाद्य और औषधि नियंत्रण प्राधिकारी आदि द्वारा जारी व्यवसाय प्रमाणपत्र, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार प्राधिकारी/विभाग द्वारा मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम पर जारी किया गया पंजीकरण/लाईसेंसिंग दस्तावेज, डीजीएफटी के कार्यालय द्वारा मालिकाना प्रतिष्ठान को

	जारी की गई आयातक निर्यातक कूट संख्या (आईईसी), आदि। • एकल स्वामी के नाम में पूर्ण आयकर विवरणी (न कि सिर्फ पावती), जिसमें फर्म की आय दर्शाई गई हो । विवरणी आय कर के प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् प्रमाणित/ स्वीकृत हो । • स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम से बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन बिल जैसे उपयोगिता सेवा बिल । उपर्युक्त में से कोई दो दस्तावेज पर्याप्त होंगे । दस्तावज मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम से होने चाहिए ।

अनुबंध II

रिपोटिंग फार्मेट की सूची

1. नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर)
2. सीटीआर का सारांश
3. सीटीआर - इलैक्ट्रॉनिक फाइल संरचना
4. संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर)
5. एसटीआर - इलैक्ट्रॉनिक फाइल संरचना
6. नकली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर)
7. सीसीआर का सारांश
8. सीसीआर - इलैक्ट्रॉनिक फाइल संरचना

अनुबंध -III

File No.17015/10/2002-IS-VI
Government of India
Ministry of Home Affairs
Internal Security-I Division
****

New Delhi, dated 27th August, 2009

ORDER

Subject : Procedure for implementation of Section 51A of the Unlawful Activities (Prevention)Act, 1967

The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA) has been amended and notified on 31.12.2008, which, inter-alia, inserted Section 51A to the Act. Section 51A reads as under:-

"51A. For the prevention of, and for coping with terrorist activities, the Central Government shall have power to –

(a) freeze, seize or attach funds and other financial assets or economic resources held by, on behalf of or at the direction of the individuals or entities Listed in the Schedule to the Order, or any other person engaged in or suspected to be engaged in terrorism;

(b) prohibit any individual or entity from making any funds, financial assets or economic resources or related services available for the benefit of the individuals or entities Listed in the Schedule to the Order or any other person engaged in or suspected to be engaged in terrorism;

(c) prevent the entry into or the transit through India of individuals Listed in the Schedule to the Order or any other person engaged in or suspected to be engaged in terrorism",

The Unlawful Activities (Prevention) Act define "Order" as under:-

"Order" means the Prevention and Suppression of Terrorism (Implementation of Security Council Resolutions) Order, 2007, as may be amended from time to time.

In order to expeditiously and effectively implement the provisions of Section 51A, the following procedures shall be followed:-

Appointment and Communication of details of UAPA nodal officers

2. As regards appointment and communication of details of UAPA nodal officers -

(i) The UAPA nodal officer for IS-I division would be the Joint Secretary (IS.I), Ministry of Home Affairs. His contact details are 011-23092736(Tel), 011-23092569(Fax) and jsis@nic.in (e-mail ID).

(ii) The Ministry of External Affairs, Department of Economic Affairs, Foreigners Division of MHA, FIU-IND; and RBI, SEBI, IRDA (hereinafter referred to as Regulators) shall appoint a UAPA nodal officer and communicate the name and contact details to the IS-I Division in MHA.

(iii) The States and UTs should appoint a UAPA nodal officer preferably of the rank of the Principal Secretary/Secretary, Home Department and communicate the name and contact details to the IS-I Division in MHA.

(iv) The IS-I Division in MHA would maintain the consolidated list of all UAPA nodal officers and forward the list to all other UAPA nodal officers.

(v) The RBI, SEBI, IRDA should forward the consolidated list of UAPA nodal officers to the banks, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies respectively.

(vi) The consolidated list of the UAPA nodal officers should be circulated to the nodal officer of IS-I Division of MHA in July every year and on every change. Joint Secretary(IS-I), being the nodal officer of IS-I Division of MHA, shall cause the amended list of UAPA nodal officers to be circulated to the nodal officers of Ministry of External Affairs, Department of Economic Affairs, Foreigners Division of MHA, RBI, SEBI, IRDA and FIU-IND.

Communication of the list of designated individuals/entities

3. As regards communication of the list of designated individuals/entities-

(i) The Ministry of External Affairs shall update the list of individuals and entities subject to UN sanction measures on a regular basis. On any revision, the Ministry of External Affairs would electronically forward this list to the Nodal Officers in Regulators, FIU-IND, IS-I Division and Foreigners' Division in MHA.

(ii) The Regulators would forward the list mentioned in (i) above (referred to as designated lists) to the banks, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies respectively.

(iii) The IS-I Division of MHA would forward the designated lists to the UAPA nodal officer of all States and UTs.

(iv) The Foreigners Division of MHA would forward the designated lists to the immigration authorities and security agencies.

Regarding funds, financial assets or economic resources or related services held in the form of bank accounts, stocks or insurance policies etc.

4. As regards funds, financial assets or economic resources or related services held in the form of bank accounts, stocks or insurance policies etc., the Regulators

would forward the designated lists to the banks, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies respectively. The RBI, SEBI and IRDA would issue necessary guidelines to banks, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies requiring them to -

(i) Maintain updated designated lists in electronic form and run a check on the given parameters on a regular basis to verify whether individuals or entities listed in the schedule to the Order (referred to as designated individuals/entities) are holding any funds, financial assets or economic resources or related services held in the form of bank accounts, stocks or insurance policies etc. with them.

(ii) In case, the particulars of any of their customers match with the particulars of designated individuals/entities, the banks, stock exchanges/ depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies shall immediately, not later than 24 hours from the time of finding out such customer, inform full particulars of the funds, financial assets or economic resources or related services held in the form of bank accounts, stocks or insurance policies etc. held by such customer on their books to the Joint Secretary (IS.I), Ministry of Home Affairs, at Fax No.011-23092569 and also convey over telephone on 011-23092736. The particulars apart from being sent by post should necessarily be conveyed on e-mail id: **jsis@nic.in**

(iii) The banks, stock exchanges/ depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies shall also send by post a copy of the communication mentioned in (ii) above to the UAPA nodal officer of the state/ UT where the account is held and Regulators and FIU0IND, as the case may be.

(iv) In case, the match of any of the customers with the particulars of designated individuals/entities is beyond doubt**,** the banks stock exchanges / depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies would prevent designated persons from conducting financial transactions, under intimation to Joint Secretary (IS.I), Ministry of Home Affairs, at Fax No. 011-23092569 and also convey over telephone on 011-23092736. The particulars apart from being sent by post should necessarily be conveyed on e-mail id: jsis@nic.in.

(v) The banks, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies shall file a Suspicious Transaction Report (STR) with FIU-IND covering all transactions in the accounts covered by paragraph (ii) above , carried through or attempted, as per the prescribed format.

5. On receipt of the particulars referred to in paragraph 3(ii) above, IS-I Division of MHA would cause a verification to be conducted by the State Police and/or the Central Agencies so as to ensure that the individuals/entities identified by the banks, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI and Insurance Companies are the ones listed as designated individuals/entities and the funds, financial assets or economic resources or related services, reported by banks, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies are held by the designated individuals/entities. This verification would be completed

within a period not exceeding 5 working days from the date of receipt of such particulars.

6. In case, the results of the verification indicate that the properties are owned by or held for the benefit of the designated individuals/entities, an order to freeze these assets under section 51A of the UAPA would be issued within 24 hours of such verification and conveyed electronically to the concerned bank branch, depository, branch of insurance company branch under intimation to respective Regulators and FIU-IND. The UAPA nodal officer of IS-I Division of MHA shall also forward a copy thereof to all the Principal Secretary/Secretary, Home Department of the States or UTs, so that any individual or entity may be prohibited from making any funds, financial assets or economic assets or economic resources or related services available for the benefit of the designated individuals/entities or any other person engaged in or suspected to be engaged in terrorism. The UAPA nodal officer of IS-I Division of MHA shall also forward a copy of the order under Section 51A, to all Directors General of Police/Commissioners of Police of all states/UTs for initiating action under the provisions of Unlawful Activities (Prevention) Act.

The order shall take place without prior notice to the designated individuals/entities.

Regarding financial assets or economic resources of the nature of immovable properties.

7. IS-I Division of MHA would electronically forward the designated lists to the UAPA nodal officer of all States and UTs with the request to have the names of the designated individuals/entities, on the given parameters, verified from the records of the office of the Registrar performing the work of registration of immovable properties in their respective jurisdiction.

8. In case, the designated individuals/entities are holding financial assets or economic resources of the nature of immovable property and if any match with the designated individuals/entities is found, the UAPA nodal officer of the State/UT would cause communication of the complete particulars of such individual/entity along with complete details of the financial assets or economic resources of the nature of immovable property to the Joint Secretary (IS.I), Ministry of Home Affairs, immediately within 24 hours at Fax No.011-23092569 and also convey over telephone on 011-23092736. The particulars apart from being sent by post should necessarily be conveyed on e-mail id: **jsis@nic.in**

9. The UAPA nodal officer of the State/UT may cause such inquiry to be conducted by the State Police so as to ensure that the particulars sent by the Registrar performing the work of registering immovable properties are indeed of these designated individuals/entities. This verification would be completed within a maximum of 5 working days and should be conveyed within 24 hours of the verification, if it matches with the particulars of the designated individual/entity to Joint Secretary(IS-I), Ministry of Home Affairs at the Fax telephone numbers and also on the e-mail id given below.

10. A copy of this reference should be sent to the Joint Secretary (IS.I), Ministry of Home Affairs, at Fax No.011-23092569 and also convey over telephone on 011-

23092736. The particulars apart from being sent by post would necessarily be conveyed on e-mail id: **jsis@nic.in.** MHA may have the verification also conducted by the Central Agencies. This verification would be completed within a maximum of 5 working days.

11. In case, the results of the verification indicate that the particulars match with those of designated individuals/entities, an order under Section 51A of the UAPA would be issued within 24 hours, by the nodal officer of IS-I Division of MHA and conveyed to the concerned Registrar performing the work of registering immovable properties and to FIU-IND under intimation to the concerned UAPA nodal officer of the State/UT.

The order shall take place without prior notice, to the designated individuals/entities.

12. Further, the UAPA nodal officer of the State/UT shall cause to monitor the transactions/accounts of the designated individual/entity so as to prohibit any individual or entity from making any funds, financial assets or economic resources or related services available for the benefit of the individuals or entities listed in the schedule to the order or any other person engaged in or suspected to be engaged in terrorism. The UAPA nodal officer of the State/UT shall upon coming to his notice, transactions and attempts by third party immediately bring to the notice of the DGP/Commissioner of Police of the State/UT for also initiating action under the provisions of Unlawful Activities (Prevention) Act.

Implementation of requests received from foreign countries under U.N. Security Council Resolution 1373 of 2001.

13. U.N. Security Council Resolution 1373 obligates countries to freeze without delay the funds or other assets of persons who commit, or attempt to commit, terrorist acts or participate in or facilitate the commission of terrorist acts; of entities owned or controlled directly or indirectly by such persons; and of persons and entities acting on behalf of, or at the direction of such persons and entities, including funds or other assets derived or generated from property owned or controlled, directly or indirectly, by such persons and associated persons and entities. Each individual country has the authority to designate the persons and entities that should have their funds or other assets frozen. Additionally, to ensure that effective cooperation is developed among countries, countries should examine and give effect to, if appropriate, the actions initiated under the freezing mechanisms of other countries.

14. To give effect to the requests of foreign countries under U.N. Security Council Resolution 1373, the Ministry of External Affairs shall examine the requests made by the foreign countries and forward it electronically, with their comments, to the UAPA nodal officer for IS-I Division for freezing of funds or other assets.

15. The UAPA nodal officer of IS-I Division of MHA, shall cause the request to be examined, within 5 working days so as to satisfy itself that on the basis of applicable legal principles, the requested designation is supported by reasonable grounds, or a reasonable basis, to suspect or believe that the proposed designee is a terrorist, one who finances terrorism or a terrorist organization, and upon his satisfaction, request would be electronically forwarded to the nodal officers

in Regulators. FIU-IND and to the nodal officers of the States/UTs. The proposed designee, as mentioned above would be treated as designated individuals/entities.

16. Upon receipt of the requests by these nodal officers from the UAPA nodal officer of IS-I Division, the procedure as enumerated at paragraphs 4 to 12 above shall be followed.

The freezing orders shall take place without prior notice to the designated persons involved.

Procedure for unfreezing of funds, financial assets or economic resources or related services of individuals/entities inadvertently affected by the freezing mechanism upon verification that the person or entity is not a designated person

17. Any individual or entity, if it has evidence to prove that the freezing of funds, financial assets or economic resources or related services, owned/held by them has been inadvertently frozen, they shall move an application giving the requisite evidence, in writing, to the concerned bank, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI, insurance companies, Registrar of Immovable Properties and the State/UT nodal officers.

18. The banks stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI, insurance companies, Registrar of Immovable Properties and the State/UT nodal officers shall inform and forward a copy of the application together with full details of the asset frozen given by any individual or entity informing of the funds, financial assets or economic resources or related services have been frozen inadvertently, to the nodal officer of IS-I Division of MHA as per the contact details given in paragraph 4(ii) above within two working days.

19. The Joint Secretary (IS-I), MHA, being the nodal officer for (IS-I) Division of MHA, shall cause such verification as may be required on the basis of the evidence furnished by the individual/entity and if he is satisfied, he shall pass an order, within 15 working days, unfreezing the funds, financial assets or economic resources or related services, owned/held by such applicant under intimation to the concerned bank, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI, insurance company and the nodal officers of States/UTs. However, if it is not possible for any reason to pass an order unfreezing the assets within fifteen working days, the nodal officer of IS-I Division shall inform the applicant.

Communication of Orders under section 51A of Unlawful Activities (Prevention) Act.

20. All Orders under section 51A of Unlawful Activities (Prevention) Act, relating to funds, financial assets or economic resources or related services, would be communicated to all banks, depositories/stock exchanges, intermediaries regulated by SEBI, insurance companies through respective Regulators, and to all the Registrars performing the work of registering immovable properties, through the State/UT nodal officer by IS-I Division of MHA.

Regarding prevention of entry into or transit through India

21. As regards prevention of entry into or transit through India of the designated individuals, the Foreigners Division of MHA, shall forward the designated lists to the immigration authorities and security agencies with a request to prevent the entry into or the transit through India. The order shall take place without prior notice to the designated individuals/entities.

22. The immigration authorities shall ensure strict compliance of the Orders and also communicate the details of entry or transit through India of the designated individuals as prevented by them to the Foreigners' Division of MHA.

Procedure for communication of compliance of action taken under Section 51A.

23. The nodal officers of IS-I Division and Foreigners Division of MHA shall furnish the details of funds, financial assets or economic resources or related services of designated individuals/entities frozen by an order, and details of the individuals whose entry into India or transit through India was prevented, respectively, to the Ministry of External Affairs for onward communication to the United Nations.

24. All concerned are requested to ensure strict compliance of this order.

(D .Diptivilasa)
Joint Secretary to Government of India

अनुबंध - IV

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

Notification

New Delhi, the 16th December 2010

GSR ------ (E) – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (h) (i), (j) and (k) of sub-section (2) of Section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following amendments to the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Rules, 2005, namely::-

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Third Amendment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Rules, 2005, -

(a) in rule 2,-

(i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

"(bb) "Designated Officer" means any officer or a class of officers authorized by a banking company, either by name or by designation, for the purpose of opening small accounts".

(ii) in clause (d), for the words "the Election Commission of India or any other document as may be required by the banking company or financial institution or intermediary", the words "Election Commission of India, job card issued by NREGA duly signed by an officer of the State Government, the letter issued by the Unique Identification Authority of India containing details of name, address and Aadhaar number or any other document as notified by the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India or any

other document as may be required by the banking companies, or financial institution or intermediary" shall be substituted;

(iii) after clause (fa), the following clause shall be inserted, namely:-

"(fb) "small account" means a savings account in a banking company where-

(i) the aggregate of all credits in a financial year does not exceed rupees one lakh,

(ii) the aggregate of all withdrawals and transfers in a month does not exceed rupees ten thousand, and;

(iii) the balance at any point of time does not exceed rupees fifty thousand".

(b) In rule 9, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(2A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), an individual who desires to open a small account in a banking company may be allowed to open such an account on production of a self-attested photograph and affixation of signature or thumb print, as the case may be, on the form for opening the account.

Provided that –

(i) the designated officer of the banking company, while opening the small account, certifies under his signature that the person opening the account has affixed his signature or thumb print, as the case may be, in his presence;

(ii) a small account shall be opened only at Core Banking Solution linked banking company branches or in a branch where it is possible to manually monitor and ensure that foreign remittances are not credited to a small account and that the stipulated limits on monthly and annual aggregate of transactions and balance in such accounts are not breached, before a transaction is allowed to take place;

(iii) a small account shall remain operational initially for a period of twelve months, and thereafter for a further period of twelve months if the holder of such an account provides evidence before the banking company of having applied for any of the officially valid documents within twelve months of the opening of the said account, with the entire relaxation provisions to be reviewed in respect of the said account after twenty four months.

(iv) a small account shall be monitored and when there is suspicion of money laundering or financing of terrorism or other high risk scenarios, the identity of client shall be established through the production of officially valid documents, as referred to in sub rule (2) of rule 9"; and

(v) foreign remittance shall not be allowed to be credited into a small account unless the identity of the client is fully established through the production of officially valid documents, as referred to in sub-rule (2) of rule 9.”

(Notification No.14/2010/F.No.6/2/2007-ES)

(S.R. Meena)
Under Secretary

Note: The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sib-Section (i) vide number G.S.R.444 (E), dated the 1st July, 2005 and subsequently amended by number G.S.R.717 (E), dated the 13th December, 2005, number G.S.R. 389(E), dated the 24th May, 2007, number G.S.R. 816(E), dated the 12th November, 2009, number G.S.R.76 (E), dated the 12th February, 2010 and number G.S.R. 508(E), dated the 16th June, 2010.

अनुबंध V

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्र. सं.	परिपत्र सं. और तारीख	विषय	अनुदेशों का सार
1	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 92/सी.469- 76 दिनांक 12 अगस्त 1976	5000/- रुपये से अधिक राशि के डिमांड ड्राफ्ट /टी टी जारी करना	10,000/- रुपये से अधिक राशि के डीडी/एमटी/टीटी/यात्री चेकों के आवदकों (चाहे ग्राहक हों अथवा नहीं) को आवेदन पत्र में स्थायी आयकर संख्या दी ना
2	बैंपविवि. जीएस. बीसी. 62/सी.408 (ए)/87 दिनांक 11 नवंबर 1987	बैंकों में धोखाधड़ी - नये खाते खोलना	आयात के लिए भुगतान उसी बैंक या किसी अन्य बैंक के खाते में नामे कर लिया जाना चाहिए तथा किसी भी परिस्थिति में आयात बिल छुड़ाने के लिए नकदी स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। परिचयकर्ता द्वारा अपना खाता खोलने और किसी अन्य भावी खातेदार के संबंध में बैंक में परिचय देने के बीच समुचित अंतराल, होना चाहिए। खाते के परिचय के खाता खोलनेवालो व्यक्ति की उचित पहचान संभव होनी चाहिए, ताकि यदि खाते का दुरूपयोग तो उस व्यक्ति की खोज की जा सके।
3	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 114/सी.469 (81)- 91 दिनांक 19 अप्रैल 1991	राजकोषीय कानूनों के उल्लंघन और करवचन के लिए बैंकिंग सरणी का दुरुपयोग - 50,000 रुपये और उससे अधिक राशि के डिमांड ड्राफ्ट का निर्गम और भुगतान	बैंक 50,000/- रुपये और उससे अधिक राशि के यात्री चेक, डिमांड ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफर और तार अंतरण ग्राहकों के खातों में नामे डालकर अथवा चेक के बदले जारी करेंगे, नकद के बदले नहीं।
4	बैंपविवि. बीसी. 20/17.001/92 दिनांक 25 अगस्त 1992	बैंकों में धोखाधड़ी और कुप्रथाओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जाँच	बैंकों को सूचित किया गया कि खाता खोलते समय निर्धारित मानदंडों और सुरक्षा उपाय का

		करने के लिए समिति	अनुपालन करें।
5.	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 60/ 21.01.023/92 दिनांक 21 दिसंबर 1992	कार्यशील पूंजी निधि का विपथन	बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट खातों से निकासी केवल उसी प्रयोजन के लिए की जाती है जिसके लिए उन्होंने ऋण सीमा की मंजूरी दी है। स्थायी आस्तियों के अभिग्रहण, सहयोगी कंपनियों/सहायक कंपनियों में निवेश तथा शेयरों, डिबं चरों, यूटीआई और अन्य म्युचुअल फंडों की यूनिटों के अभिग्रहण और पूंजी बाजार में अन्य निवेश के लिए कार्यशील पूंजी वित्त का कोई विपथन नहीं होना चाहिए।
6	बैंपविवि. एफएमसी. सं. 153/27.01.003/93-94 दिनांक 1 सितंबर 1993	निधि प्रवाह की निगरानी	बैंकों को सतर्क रहकर बैंक निधि के उचित उद्दिष्ट उपयोग /निधि प्रवाह की निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए। बैंकों को खाता धारकों द्वारा उनकी सामान्य व्यापार कारोबार आवश्यकताओं से असंगत अत्यधिक नकदी आहरणों तथा असामान्य प्रवृत्तियों के मामलों पर नजर रखनी चाहिए। संदिग्ध मामलों को बैंपविवि, क्षेत्रीय कार्यालय को रिपोर्ट किया जाए।
7	बैंपविवि. जीसी.बीसी.193/ 17.04.001/ 93 दिनांक 18 नवंबर 1993	बैंकों में धोखाधड़ी - ब्याज / लाभांश वारंट, धनवापसी आदेश आदि का नकदीकरण	बैंकों को उचित पहचान के बिना नए खाते नहीं खोलने, काल्पनिक नाम तथा पते वाले नए खाते नहीं खोलने के लिए सतर्कता बरतनी चाहिए।बैंकों को खाते खोलने तथा उनके परिचालन पर जारी किए गए अनुदेशों का कड़ाई से पालन करने के लिए अनुदेश दिए गए।
8.	बैंपविवि. जीसी.बीसी.202/ 17.04.001/ 93 दिनांक 6	बैंकों में धोखाधड़ी तथा कुप्रथाओं से संबंधित	खाता खोलते समय ग्राहक की पहचान जिसमें खाता खोलते समय

	दिसंबर 1993	विभिन्न पहलूओं की जांच करने के लिए गठित समिति	ग्राहकों के फोटोग्राफ प्राप्त करना शामिल है।
9.	बैंपविवि. जीसी. बीसी. 46/ 17.04.001 दिनांक 22 अप्रैल 1994	बैंकों में धोखाधड़ी तथा कुप्रथाओं से संबंधित विभिन्न पहलूओं की जांच करने के लिए गठित समिति	1.1.1994 से नए खाते परिचालित करने के लिए प्राधिकृत जमाकर्ताओं/ खाता धारकों के फोटोग्राफ प्राप्त करने के संबंध में बैंकों को दिए गए स्पष्टीकरण। फोटोग्राफ प्राप्त करने संबंधित अनुदेश निवासी तथा अनिवासी तथा मीयादी / आवर्ती/संचयी जमा खातों सहित जमाराशियों की सभी श्रेणियों तथा खाते परिचालित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों पर भी लागू होंगे।
10	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 106/ 21.01.001/ 94 दिनांक 23 सितंबर 1994	जमा खातों में कपटपूर्ण परिचालन - खाते खोलना तथा चेक / पे ऑर्डर आदि का संग्रहण	बैंकों को संयुक्त खाते खोलने के प्रत्येक अनुरोध की जांच करनी चाहिए। उनका प्रयोजन, कारोबार, खाता धारकों की वित्तीय स्थिति तथा क्या खाता धारकों की संख्या अत्यधिक है पर ध्यान देना चाहिए। सामान्यत: 'रेखित (क्रॉस्ड)' तथा 'आदेश' पर देय चेक, आदाता के उचित पृष्ठांकन पर ही संग्रहीत किए जाने चाहिए। बैंकों को बड़ी रकम वाले चेक के संग्रहण में सावधानी बरतनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि बेनामी लेनदेन के लिए संयुक्त खातों का उपयोग नहीं किया जाता है।
11	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 57/ 21.01.001/ 95 दिनांक 4 मई 1995	बैंकों में धोखाधड़ी - जमाखातों की निगरानी	बैंक नए जमा खातों की कडी निगरानी तथा जमाखातों नकद ऋण तथा ओवरड्राफ्ट खातों में 10 लाख रुपये के नकद आहरणों तथा जमा की निगरानी की प्रणाली

			प्रारंभ करेंगे। बैंक इन बड़े नकद लेनदेन के ब्यौरों का रिकार्ड अलग रजिस्टर में रखेंगे।
12	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 102/ 21.01.001/95 दिनांक 20 सितंबर 1995	जमा खातों की निगरानी	बैंक की शाखाएं पाक्षिक विवरणों में अपने नियंत्रक कार्यालयों को 10 लाख रुपये तथा उससे अधिक के सभी नकद जमा तथा आहरणों का संपूर्ण ब्यौरों सहित रिपोर्ट करेंगे। संदिग्ध लेनदेन के बारे में मुख्य कार्यालय को अवगत कराया जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक निरीक्षण करते समय इन विवरणों की जांच करेगा।
13.	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 42/ 21.01.001/96 दिनांक 6 अप्रैल 1996	जमा /अन्य खातों में 10 लाख रुपये तथा उससे अधिक राशि के नकद जमा तथा आहरणों की निगरानी	बैंकों को 10 लाख रुपये तथा उससे अधिक राशि के बड़े नकद जमा तथा आहरणों की कड़ी निगरानी की प्रणाली के कार्यान्वयन पर अपनी प्रतिसूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।
14	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 12/ 21.01.023/98 दिनांक 11 फरवरी 1998	आँकड़े प्रस्तुत करना - गुप्तता संबंधी बाध्यताओं का उल्लंघन	बैंकों को अपने आप को इस बात से संतुष्ट कराना चाहिए कि मांगी गई जानकारी, कानूनी बाध्यता, जनता के प्रति सूचना प्रकट करने के दायित्व, जहां बैंक के हित में प्रकटीकरण आवश्यक है और जहां प्रकटीकरण ग्राहक की स्पष्ट अथवा निहित सम्मति से किया गया है, ऐसे कारणों को छोड़कर बैंकिंग लेनदेन में गुप्तता से संबंधित कानूनों का उल्लंघन नहीं करेगी।
15	बैंपविवि. एफजीवी. बीसी. 56/ 23.04.001/ 98 -99 दिनांक 21 जून 1999	बैंकों में बड़े मूल्य वाली धोखाधड़ी पर अध्ययन दल की रिपोर्ट	बैंकों में बड़े मूल्य वाली धोखाधड़ी पर अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया।
16	बैंपविवि. सीओएमपी. बीसी 130/ 07.03.23/ 2000-01 दिनांक 14 जून 2001	भारत में इंटरनेट बैंकिंग - दिशानिर्देश	इंटरनेट पर बैंकिंग सुविधाएं विद्यमान विनियामक ढांचे के

			अधीन होंगी। जो बैंक भारत में मौजूदगी हैं केवल उन्हीं बैंकों को भारत के निवासियों को इंटरनेट पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी तथा किसी भी प्रकार के सीमापार लेनदेन विद्यमान विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अधीन होगें । बैंकों को भावी ग्राहक की पहचान स्थापित करनी होगी और उसकी ईमानदारी तथा प्रतिष्ठा के बारे में भी पूछताछ करनी होगी। ग्राहक की उचित पहचान और उसकी पहचान के वास्तविक सत्यापन के बाद ही इंटरनेट खाते खोले जाने चाहिए।
17	बैंपविवि. बीपी. 52/ 21.01.001/2001-02 दिनांक 5 दिसंबर 2001	आतंकवाद निवारण अध्यादेश, 2001- उसका कार्यान्वयन	बैंकों को अध्यादेश की अनुसूची में सूचीबद्ध किए गए 23 आतंकवादी संगठनों के लेनदेन पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। विद्यमान अधिनियमों अथवा सामान्य बैंकिंग परिचालनों के उल्लंघन के बारे में अध्यादेश के अंतर्गत उचित प्राधिकारियों को रिपोर्ट करना आवश्यक है और उसकी सूचना रिज़र्व बैंक को भी दी जाए। बैंक 'अपने ग्राहक को जानिए' सिद्धांत के संबंध में 'उचित सावधानी' बरतें।
18	बैंपविवि. एएमएल. बीसी. 89/ 14.01.001/2001-02 दिनांक 15 अप्रैल 2002	संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प, 1390 के अनुसरण में निधियों पर रोक लगाना	संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति द्वारा सूचित सूचीबद्ध व्यक्तियों तथा संस्थाओं के खातों पर तत्काल रोक लगाया जाना चाहिए। यदि इनमें से किसी भी संस्था से संबंधित कोई लेनदेन पाया जाता है तो बैंक तत्काल

			आवश्यक कार्रवाई के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करें।
19	बैंपविवि. एएमएल. बीसी. 102/ 4.01.001/2001-02 दिनांक 10 मई 2002	खातों की निगरानी - अनुदेशों का अनुपालन	बैंक यह सुनिश्चित करें कि प्रतिबंधित संगठनों द्वारा कोई नए खाते खोले नहीं जाते हैं। बैंकों को खाते खोलने तथा उनकी निगरानी से संबंधित विद्यमान दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। बैंकों को इस बात की पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने अपनी शाखाओं तथा नियंत्रक कार्यालयों को तत्काल अनुपालन हेतु ये अनुदेश जारी किए हैं।
20	बैंपविवि. एएमएल. बीसी 18/14.01.001/ 2002-03 दिनांक 16 अगस्त 2002	'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंडों तथा 'नकद लेनदेन' पर दिशानिर्देश	'अपने ग्राहक को जानिए' पर पहला परिपत्र । ग्राहक पहचान के लिए विद्यमान खाता धारक /ऐसा व्यक्ति जिसे बैंक जानता हो द्वारा प्रारंभिक परिचय अथवा ग्राहक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाना चाहिए। बैंकों के निदेशक मंडल को ऐसी उपयुक्त नीतियां तैयार करनी चाहिए जो खाता खोलने वाले व्यक्ति /कंपनी की वास्तविक पहचान को सत्यापित करने की क्रियाविधियों को स्थापित करती हों। बैंकों की शाखाओं को अपने पाक्षिक विवरणों में अपने नियंत्रक कार्यालयों को 10 लाख रुपये से अधिक राशि के सभी नकद जमा तथा आहरणों तथा संदिग्ध स्वरूप के लेनदेन के बारे में संपूर्ण ब्यौरों सहित रिपोर्ट करना चाहिए।
21	बैंपविवि. एएमएल. बीसी. 58/14.01.001/ 2004-05	'अपने ग्राहक को जानिए'	हमारे दिशानिर्देशों को एफएटीएफ

	दिनांक 29 नवंबर 2004	(केवाइसी) दिशानिर्देश - धनशोधन निवारक मानक	की सिफारिशों तथा सीडीडी पर बासेल समिति की रिपोर्ट के अनुरूप बनाने के लिए उनमें फिर से संशोधन किया गया। बैंकों के लिए ग्राहक स्वीकृति नीति, ग्राहक पहचान क्रियाविधि, लेनदेन की निगरानी तथा जोखिम प्रबंधन पर आधारित चौ तरफा दृष्टिकोण निर्धारित किया गया।
22	बैंपविवि. एएमएल. बीसी. 28/ 14.01.001 / 20015/06 दिनांक 23 अगस्त 2005	'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाइसी) दिशानिर्देश - धनशोधन निवारक मानक	दस्तावेज की आवश्यकता से संबंधित अपने ग्राहक को जानिए दिशानिर्देशों को समाज के वित्तीय रूप से पिछडे वर्गों के लोगों के लिए शिथिल किया गया। वे परिचयात्मक संदर्भ के आधार पर खाता खोल सकते हैं।
23	बैंपविवि. एएमएल. बीसी. 63/14.01.001/ 2005-06 दिनांक 15 फरवरी 2006	धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 - उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार बैंकों के दायित्व	वित्तीय आसूचना इकाई - भारत (एफआइयू -आइएनडी) को नकद तथा संदिग्ध लेनदेन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए बैंकों के लिए रिपोटिंग प्रणाली तथा फॉर्मेट निर्धारित किए गए।
24	बैंपविवि.एएमएल. बीसी. 77/14.01.001/ 2006-07 दिनांक 13 अप्रैल 2007	वायर अंतरण	बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि देशी तथा सीमापार निधि अंतरण वाले सभी वायर अंतरणों के साथ प्रवर्तक संबंधी संपूर्ण जानकारी भेजी जाए।
25	बैंपविवि. एएमएल. बीसी. 63/14.01.001/ 2007-08 दिनांक 18 फरवरी 2008	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धनशोधन निवारण मानक /वित्तीय आतंकवाद का सामना करना	ग्राहक के जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी को आवधिक रूप से अद्यतन करना तथा कार्मिकों की भर्ती करने की प्रक्रिया की जाँच प्रणाली पर अपने ग्राहक को जानिए /धनशोधन निवारण पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए

			गए ।
26	बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 85/ 14.01.001/ 2007-08 दिनांक 22 मई 2008	धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 - उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार बैंकों के दायित्व	बैंकों द्वारा एफआइयू - आइएनडी को भेजे जानेवाले सीटीआर तथा एसटीआर पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए।
27	बैंपविवि. एएमएल. बीसी.सं. 12/ 14.01.001/ 2008-09 दिनांक 1 जुलाई 2008	'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एल एम ए) के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व से संबंधित मास्टर परिपत्र	इस मास्टर परिपत्र में 30 जून 2008 तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध पर जारी सभी दिशानिर्देशों का समेकन किया गया है ।
28.	बैंपविवि. एएमएल. बीसी.सं. 2/ 14.01.001/ 2009-10 दिनांक 1 जुलाई 2009	'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एल एम ए) के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व से संबंधित मास्टर परिपत्र	इस मास्टर परिपत्र में 30 जून 2009 तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध पर जारी सभी दिशानिर्देशों का समेकन किया गया है ।
29.	बैंपवि. एफ आर एम सी सं. 2605 /23.04.001 /2009-10 दिनांक 18 अगस्त 2009	बहु-स्तरीय मार्केटिंग कंपनियों के खाते खोलते/ संचालित करते समय केवायसी / एएमएल दिशानिर्देशों का अवलम्बन	बैंकों को मार्केटिंग कंपनियों के खाते खोलते/ संचालित करते समय सावधानी बरतने और बड़ी संख्या में जारी चेक बुकों तथा एक ही बैंक खाते में देश भर में बहुत सारी छोटी-छोटी जमाराशियां जमा होने पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया था ।

30.	बैंपविवि. एएमएल. बीसी.सं. 43/14.01.001/ 2009-10 दिनांक 11 सितंबर 2009	'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एल एम ए) के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व	सरकार ने धनशोधन निवारण अधिनियम, 2005 में संशोधन किया और वह सरकार की अधिसूचना के अनुसार 1 जून 2009 से लागू हुआ।
31.	बैंपविवि. एएमएल. बीसी.सं. 44/14.01.001/ 2009-10 दिनांक 17 सितंबर 2009	आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध - विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 - बैंकों के दायित्व	भारत सरकार, ग्रह मंत्रालय ने 27 अगस्त 2009 को एक आदेश जारी किया है जिसमें विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क को लागू करने की प्रक्रिया के ब्यौरे दिये गये हैं।
32.	बैंपविवि. एएमएल. बीसी.सं. 68/ 14.01.001/ 2009-10 दिनांक 12 जनवरी 2010	धनशोधन निवारण संशोधन) नियमावली, 2009 - बैंकों /वित्तीय संस्थाओं के दायित्व	भारत सरकार ने 12 नवंबर 2009 की अपनी अधिसूचना द्वारा धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप तथा मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समयसीमा तथा उसके रखरखाव की क्रियाविधि तथा पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन तथा रखरखाव) नियमावली, 2005 में संशोधन किया है ।
33.	बैंपविवि. एएमएल. बीसी.सं. 80/ 14.01.001 / 2009-10 दिनांक 26 मार्च 2010	अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशानिर्देश - मालिकाना प्रतिष्ठान के खाते	मालिकाना प्रतिष्ठानों के खाते खोलने के लिए निर्धारित ग्राहक की पहचान-प्रक्रिया
34.	बैंपविवि. एएमएल. बीसी.सं. 95/ 14.01.001 / 2009-10 दिनांक 23 अप्रैल 2010	धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप तथा	भारत सरकार ने 12 फरवरी 2010 की अपनी अधिसूचना द्वारा

		मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समयसीमा तथा उसके रखरखाव की क्रियाविधि तथा पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन तथा रखरखाव) संशोधन नियमावली, 2010 - बैंकों /वित्तीय संस्थाओं के दायित्व	धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप तथा मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समयसीमा तथा उसके रखरखाव की क्रियाविधि तथा पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन तथा रखरखाव) नियमावली, 2005 में संशोधन किया है।
35 .	बैंपविवि. एएमएल. बीसी.सं. 108 / 14.01.001 / 2009-10 दिनांक 9 जून 2010	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धन शोधन निवारण मानक /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व	धनशोधन अथवा आतंकवादी वित्तपोषण की आशंका; संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट फाइल करने; पोलिटिकली एक्सपोड पर्सन (पीईपी)तथा प्रधान अधिकारी के संबंध में बैंकों को जारी किए गए अतिरिक्त स्पष्टीकरण
36.	बैंपविवि. एएमएल. बीसी.सं. 109 / 14.01.001 / 2009-10 दिनांक 10 जून 2010	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धन शोधन निवारण मानक /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व	व्यावसायिक मध्यवर्तियों द्वारा खोले गए ग्राहक खातों से संबंधित दिशानिर्देशों को दोहराया गया है।
37.	बैपविवि. एएमएल. बीसी.सं. 111 / 14.01.001 / 2009-10 दिनांक 15 जून 2010	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धन शोधन निवारण मानक	बैंकों को सूचित किया जाता है कि एफएटीएफ वक्तव्य में शामिल किए गए क्षेत्रों में धनशोधन निवारण

		/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व	/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध संबंधी मानदंडों में कमियों के कारण होने वाले जोखिम को ध्यान में रखें और एफएटीएफ सिफारिशों को लागू न करने वाले अथवा अपर्याप्त रुप से लागू करने वाले देशों की पहचान करने के लिए सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध सूचना / जानकारी पर भी विचार करना।बैंकों को शेल बैंकों के साथ संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए
38.	बैंपविवि. एएमएल. बीसी.सं. 113 / 14.01.001 / 2009-10 दिनांक 29 जून 2010	धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) दूसरी संशोधन नियमावली, 2010	भारत सरकार की 16 जून 2010 की अधिसूचना द्वारा धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप तथा मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समयसीमा तथा उसके रखरखाव की क्रियाविधि तथा पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन तथा रखरखाव) नियमावली, 2005 में संशोधन किया है।
39	बैंपविवि. एएमएल. बीसी.सं. 38 / 14.01.001 / 2010-11 दिनांक 31 अगस्त 2010	मालिकाना प्रतिष्ठानों के खाते	मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम पर खाता खोलने के लिए जो दस्तावेज स्वीकार किए जा सकते हैं उनकी सूची में कुछ और दस्तावेज जोड दिए गए हैं.
40	बैंपविवि.एएमएल. बीसी. सं.50/14.01. 001 / 2010-11 दिनांक 26 अक्तूबर 2010	बैंक खाते खोलना-वेतन-भोगी कर्मचारी	बैंकों को केवल प्रतिष्ठित कार्पोरेट और अन्य संस्थाओं द्वारा जारी किये गए प्रमाण पर भरोसा करना चाहिए तथा इस संबंध में सचेत होना चाहिए कि इस प्रकार के

			प्रमाण पत्र/पत्र जारी करने के लिए संबंधित नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी कौन है।नियोक्ता के प्रमाण पत्र के अलावा, बैंक को धनशोधन निवारण नियमावली में दिये गये अधिकृत वैध दस्तावेजों में से कम-से-कम एक की प्रस्तुति पर जोर देना चाहिए
41	बैंपविवि.एएमएल. बीसी. सं. 65 /14.01. 001 / 2010-11 दिनांक 7 दिसंबर 2010	बैंक खातों का परिचालन तथा 'धनशोधन के माध्यम बने व्यक्ति'	बैंकों को सूचित किया गया कि यदि बैंक 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध/धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 में निहित दिशानिर्देशों का पालन करें तो धनशोधन के माध्यम बने ऐसे खातों के परिचालन को कम-से-कम किया जा सकता है।
42	बैंपविवि.एएमएल. बीसी. सं. 65 /14.01. 001 / 2010-11 दिनांक 7 दिसंबर 2010	बैंकों को बुलियन व्यापारियों (छोटे-व्यापारियों सहित) तथा जौहरियों के खातों का उच्चतर जोखिमवाले खातों के रूप में वर्गीकरण करना चाहिए।	बैंकों को बुलियन व्यापारियों (छोटे-व्यापारियों सहित) तथा जौहरियों के खातों का उच्चतर जोखिमवाले खातों के रूप में वर्गीकरण करना चाहिए जिनके लिए उच्चतर सावधानी बरतने तथा लेनदेन के संबंध में भी कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता होगी । एफआइयू - आइएनडी को संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) भेजते समय संदेहास्पद लेनदेनों की पहचान करने के लिए बैंकों को इन खातों से जुड़े उच्च जोखिम को भी ध्यान में रखना चाहिए ।
43	बैंपविवि.एएमएल. बीसी. सं.77 /14.01. 001 / 2010-11 दिनांक 27	छोते खाते खोलना	दिनांक 16 दिसंबर 2010 की भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार धनशोधन निवारण

	जनवरी 2011		(लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) नियमावली, 2005 में संशोधन किया गया है और उसमें छोटे खाते की परिभाषा तथा छोटे खाते खोलने की विस्तृत क्रियाविधि शामिल की गई है।
44	बैपविवि.एएमएल. बीसी. सं.36/14.01.001/2011-12 / दिनांक 28 सितंबर 2011	अपने ग्राहक को जानिए मानदण्ड - भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण(यूआईडीएआई) द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पता एवं आधार सं. के ब्यौरे दिए गए हैं ।	यूआईडीएआई द्वारा जारी पत्र को सभी प्रकार के बैंक खाते खोलने के लिए आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता दी गई है ।
45	बैपविवि.एएमएल. बीसी. सं.47/14.01.001/2011-12 / दिनांक 4 नवंबर 2011	चेकों/ड्राफ्टों/भुगतान आदेशों/बैंकर चेकों का भुगतान	1 अप्रैल 2012 से 1 अप्रैल 2012 को या उसके बाद जारी किए गए चेक / ड्राफ्ट / भुगतान आदेश / बैंकर चेक, जारी करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए वैध हैं।
46	बैपविवि.एएमएल. बीसी. सं.65/14.01.001/2011-12 / दिनांक 19 दिसंबर 2011	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)मानदंड/ धनशोधननिवारण मानक /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध/धनशोधन निवारण अधिनियम	बैंक को ग्राहकों, देशों तथा भौगोलिक क्षेत्रों और उत्पादों/ सेवाओं/ लेनदेनों / सुपुर्दगी चैनलों में भी अपने धनशोधन / आतंकी वित्तपोषण जोखिमों की पहचान

		(पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत दायित्व - जोखिम का मूल्यांकन तथा निगरानी	तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए कदम उठाने चाहिए। बैंकों में जोखिम आधारित दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए कारगर ढंग से अपने जोखिम का प्रबंधन करने तथा उसे कम करने के लिए नीतियां, नियंत्रण तथा क्रियाविधियां स्थापित होनी चाहिए जो उनके बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित हों और उन्हें मध्यम एवं उच्च जोखिम रेटिंग वाले उत्पादों, सेवाओं तथा ग्राहकों के लिए सघन उपाय भी करने चाहिए।
47	बैपविवि.एएमएल. बीसी. सं.70/14.01.001/2011-12 / दिनांक 30 दिसंबर 2011	अल-कायदा तथा तालिबान से संबद्ध व्यक्तियों एवं संगठनों की यूएनएससी 1267 समिति की सूची को विभाजित करना	बैंक विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51-ए के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए "अल-कायदा प्रतिबंध सूची" तथा "1988 प्रतिबंध सूची" दोनों पर विचार करें।
48	बैपविवि.एएमएल. बीसी. सं.93/14.01.001/2011-12 / दिनांक 17 अप्रैल 2012	अपने ग्राहक को जानिए' संबंधी दिशानिर्देश - स्वामित्व प्रतिष्ठानों के खाते	स्वामित्व प्रतिष्ठान का खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की निर्देशात्मक सूची में अतिरिक्त दस्तावेज़ शामिल किए गए हैं।
49	बैपविवि.एएमएल. बीसी. सं.109/14.01.001/2011-12 / दिनांक 8 जून 2012	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धनशोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफ़टी) संबंधी दिशानिर्देश- भारत में बैंक ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान	ग्राहकों द्वारा ली गई सुविधाओं का पता लगाने और समग्र रूप में वित्तीय लेनदेन की निगरानी रखने तथा ग्राहकों का जोखिम प्रोफ़ाइल तैयार करने के लिए एक बेहतर दृष्टिकोण हो इसलिए बैंक ग्राहकों के किए विशिष्ट ग्राहक पहचान प्रणाली का प्रारंभ

		कोड (यूसीआईसी)	करेंगे। यह प्रणाली मई 2013 तक स्थापित की जाएगी ।
50	बैपविवि.एएमएल. बीसी. सं.110/14.01.001/2011-12 / दिनांक 8 जून 2012	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धनशोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफ़टी) - जोखिम संवर्गीकरण और ग्राहक विवरणों (प्रोफाइल्स) को अद्यतन करना	बैंकों को सूचित किया गया है की वे अपने सभी ग्राहकों का जोखिम संवर्गीकरण तथा ग्राहक विवरणों (प्रोफाइल्स) को अद्यतन करने की प्रक्रिया मार्च 2013 के अंत तक, पूरी कर लें।